न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या :– 43/2017
सी.आई.एस. नं. :– 93/2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 67/2017, आरक्षी केन्द्र पचपदरा
CNR : RJBA010007862017

राजस्थान राज्य ।

विरुद्ध

01. विशनाराम पुत्र हडमानाराम,
02. हीराराम पुत्र हडमानाराम,
03. सुखराम उर्फ सुखदेव पुत्र हडमानराम,
04. हडमानराम पुत्र लक्ष्मणराम (फौत, कार्यवाही समाप्त दिनांक 08.04.2025)
निवासियान रेवाडा नयापुरा, पुलिस थाना पचपदरा, जिला बालोतरा ।

---- अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 447, 307
सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–
1. श्री अचलाराम थोरी, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते अभियुक्तगण ।
2. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

:: निर्णय ::

दिनांक : 30.04.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.02.2017 को परिवादी गुमानाराम ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उनका खेत मौजा सरहद रेवाड़ा नवापुरा में आया हुआ है, जहाँ पर उनके परिवार का ही कब्जा काश्त है । मुलजिमान विशनाराम, हीराराम, सुखराम, रमेश पुत्र हड़मानराम व हड़मानराम पुत्र लक्ष्मणराम उनके कब्जाशुदा खेत पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से काफी समय से उससे व उसके परिवार से रंजिश रखते हैं । दिनांक 04.05.2017 को शाम 04.00 बजे वह, भंवरलाल, हरलाल, मिश्रीमल व जबरसिंह उनके खेत में खड़े थे तभी सभी मुलजिमान व पाँच अन्य व्यक्ति हाथों में लाठियाँ व धारदार हथियार लेकर उन्हें जान से मारने की नीयत से उसके खेत में जबरन प्रवेश कर उनके पास आए, आते ही

मुलजिमान उसके साथ लाठियों से मारपीट करने लगे, तभी बीच–बचाव के लिए मिश्रीमल आया तो मुलजिम विशनाराम ने लोहे के सरिये से मिश्रीमल को जान से मारने की नीयत से प्राणघातक गंभीर चोट मारी जिससे मिश्रीमल का सिर फट गया तभी भंवरलाल, जबरसिंह, हरलाल आए तो मुलजिमान ने इनके साथ भी लाठियों से मारपीट की जिससे उसके, भंवरलाल, हरलाल व जबरसिंह के सिर, हाथों व पैरों पर गंभीर चोटें लगीं । उनकी रड़ें सुनकर रामलाल, मोहनलाल व अन्य लोगों ने बीच–बचाव करवाया । मिश्रीमल व जबरसिंह के गंभीर चोट लगी, कार्यवाही करावें....... इत्यादि ।

2. रिपोर्ट पर पुलिस थाना पचपदरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 67/2017, अपराध अंतर्गत धारा 143, 147, 148, 149, 323, 341, 447, 307 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर, अनुसंधान उपरांत उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 325, 447, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, पचपदरा में दिनांक 06.10.2017 को पेश किया गया । मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पचपदरा ने इस न्यायालय को कमिट किया जो इस न्यायालय में दिनांक 24.10.2017 को प्राप्त होने पर दर्ज किया गया ।
3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325, 447, 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार करते हुए अन्वीक्षा चाही ।
4. दौराने अन्वीक्षा अभियुक्त हडमानराम फौत हो जाने से उसके विरुद्ध दिनांक 08.04.2025 कार्यवाही Abate (समाप्त) की गई ।
5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गयाः–

गवाह संख्या	**नाम गवाह**	**गवाह द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज**
पी.डब्ल्यू. 01	पुखराज सुथार	प्रदर्श पी 01
पी.डब्ल्यू. 02	गुमानराम	प्रदर्श पी 01 से 04
पी.डब्ल्यू. 03	बाबूराम	–
पी.डब्ल्यू. 04	जगदीश	–
पी.डब्ल्यू. 05	मिश्रीमल	प्रदर्श डी 01
पी.डब्ल्यू. 06	भंवरलाल	प्रदर्श पी 04 व 05
पी.डब्ल्यू. 07	पोकरराम	प्रदर्श डी 02
पी.डब्ल्यू. 08	गजेसिंह	प्रदर्श डी 03

पी.डब्ल्यू. 09	छगनसिंह	–
पी.डब्ल्यू. 10	खरथाराम	–
पी.डब्ल्यू. 11	चनणाराम	–
पी.डब्ल्यू. 12	गेनाराम	–
पी.डब्ल्यू. 13	मोहनपुरी	प्रदर्श पी 06
पी.डब्ल्यू. 14	जोगाराम	प्रदर्श डी 05
पी.डब्ल्यू. 15	पीरपुरी	प्रदर्श डी 05
पी.डब्ल्यू. 16	बाबूसिंह	–
पी.डब्ल्यू. 17	डॉ. प्रेमप्रकाश सुथार	प्रदर्श पी 03 से 05 व 07 से 11
पी.डब्ल्यू. 18	मोहनलाल	–
पी.डब्ल्यू. 19	रामलाल	–
पी.डब्ल्यू. 20	जबरसिंह	प्रदर्श डी 06
पी.डब्ल्यू. 21	हरलाल	–
पी.डब्ल्यू. 22	डॉ. संतोष कुमार	प्रदर्श पी 12, प्रदर्श डी 07, 08 व 09
पी.डब्ल्यू. 23	जयकिशन	प्रदर्श पी 01 से 05, 08 से 10, 12 से 22
पी.डब्ल्यू. 24	बालाराम	–

6. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

प्रदर्श पी 01	नक्शा व हालात मौका
प्रदर्श पी 02	लिखित रिपोर्ट
प्रदर्श पी 03	चोट प्रतिवेदन मजरूब गुमनाराम
प्रदर्श पी 04	फर्द पेशकन्दा खूल आलूंदा कमीज मजरूब जबरसिंह
प्रदर्श पी 05	चोट प्रतिवेदन मजरूब भंवरलाल
प्रदर्श पी 06	पुलिस बयान मोहनपुरी
प्रदर्श पी 07	एक्स–रे राय (मजरूब गुमनाराम)
प्रदर्श पी 08	चोट प्रतिवेदन मजरूब मिश्रीमल
प्रदर्श पी 09	चोट प्रतिवेदन मजरूब हरलाल
प्रदर्श पी 10	चोट प्रतिवेदन मजरूब जबरसिंह
प्रदर्श पी 11	एक्स–रे राय (मजरूब जबरसिंह)
प्रदर्श पी 12	चोट संबंधित राय (मजरूब मिश्रीमल)
प्रदर्श पी 13	मजरूब मिश्रीमल के खून आलूंदा कपड़े पेश नहीं करने बाबत रिपोर्ट
प्रदर्श पी 14	जमाबंदी
प्रदर्श पी 15	नक्शा ट्रेस

प्रदर्श पी 16 से 19	फोटोग्राफ्स
प्रदर्श पी 20	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त विशनाराम
प्रदर्श पी 21	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हीराराम
प्रदर्श पी 22	नोटिस धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता

7. अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए, खेत के विवाद के कारण गवाहों द्वारा झूँठे बयान देना बताया एवं कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई घटना कारित नहीं की । परिवादी पक्ष ने उनके घर पर हमला किया तथा घर में तोड़फोड़ कर महिलाओं के साथ मारपीट की । परिवादी पक्ष संख्या बल में ज्यादा थे जिनमें पीरपुरी के पास गाड़ी थी जिसने हड़बड़ाहट में गाड़ी को तेजी से घुमाया जिससे मिश्रीमल के लगी और उन पर खेत के विवाद के कारण झूँठा मुकद्दमा किया है । प्रतिरक्षा में बावजूद अवसर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । अभियोजन साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

प्रदर्श डी 01	पुलिस बयान मिश्रीमल
प्रदर्श डी 02	पुलिस बयान पोकरराम
प्रदर्श डी 03	पुलिस बयान गजेसिंह
प्रदर्श डी 04	पुलिस बयान चनणाराम
प्रदर्श डी 05	पुलिस बयान पीरपुरी उर्फ अरविन्दपुरी
पुनः प्रदर्श डी 05	पुलिस बयान जोगाराम
प्रदर्श डी 06	पुलिस बयान जबरसिंह
प्रदर्श डी 07 से 09	मजरूब मिश्रीमल के भर्ती संबंधी दस्तावेजात

8. बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

9. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से परिवादी के कब्जेशुदा खेत में अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से प्रवेश कर वहाँ पर खड़े परिवादी गुमानाराम, भंवरलाल, हरलाल, मिश्रीमल व जबरसिंह के साथ धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला करना एवं मारपीट से आहत मिश्रीमल के सिर पर प्रणाघातक चोट आना साबित है । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों ने अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए साक्ष्य दी है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य भी साबित है कि जिस स्थान पर मारपीट की गई वह भूमि परिवादी के आधिपत्य एवं कब्जे में है ।

10. यह भी तर्क दिया कि आहतगण के चोटें आना मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होना बताते हुए अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

11. विद्वान लोक अभियोजक की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 गुमानाराम द्वारा दिनांक 05.05.2017 को दर्ज करवाई है जबकि घटना दिनांक 04.05.2017 की शाम को 04.00 बजे की बताई है। रिपोर्ट देरीना दर्ज करवाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा लाठियों व लोहे के सरिये से मारपीट करना बताया है लेकिन लाठी या सरिया बरामद नहीं हुआ है।

12. यह भी तर्क दिया कि जिस भूमि पर परिवादी उनका कब्जा होना बता रहा है वह भूमि परिवादी की नहीं होकर अभियुक्त हड़मानाराम के खातेदारी की भूमि है जिस पर परिवादी पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर रखा था। हड़मानाराम द्वारा परिवादी पक्ष के विरुद्ध राजस्व वाद संस्थित किया गया था जिसका निर्णय होकर परिवादी पक्ष का अवैध कब्जा हटाया जाने का आदेश सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा दिया गया था। दिनांक 04.05.2017 को परिवादी पक्ष का कब्जा हटाये जाने हेतु राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मय पुलिस जाब्ते के मौके पर आए एवं मौके पर नाप किया गया, इस बात से नाराज होकर मुस्तगीस पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पक्ष के साथ मारपीट की जिसका अभियुक्तगण द्वारा मुकद्दमा दर्ज करवाया जिससे बचने हेतु झूँठे तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण दर्ज करवाया है।

13. यह भी तर्क दिया कि मुस्तगीस पक्ष द्वारा करीब 20-25 लोग एकत्रित होकर मुलजिमान पक्ष के साथ झगड़ा करने आए उस समय पीरपुरी उसकी गाड़ी लेकर आया तथा मौके पर पत्थबाजी किए जाने से हड़बड़ाहट में पीरपुरी गाड़ी को भगा रहा था तब मिश्रीमल के सिर पर चोटें आई थी जिसका समर्थन मिश्रीमल के इलाज से संबंधित दस्तावेजात से होता है जिसमें मिश्रीमल के सिर पर पाई गई चोट रोड ट्रेफिक एक्सिडेंट (आरटीए) से आना लिखा हुआ है।

14. यह भी तर्क दिया कि सभी गवाह मुस्तगीस पक्ष के रिश्तेदार एवं हितबद्ध साक्षी हैं। मौके पर उपस्थित स्वतंत्र साक्षी पीडब्ल्यू 04 जगदीश ने भी मिश्रीमल के बोलेरो गाड़ी

से चोटें आना एवं मोहनराम, कालूराम, जीवाराम एवं अन्य बहुत सारे लोगों द्वारा हड़मानाराम, हीराराम, विशनाराम, रमेश व सुखदेव पर हमला करना कथन किया है ।

15. यह भी तर्क दिया कि गवाहों के कथनों में महत्वपूर्ण एवं तात्विक विरोधाभास है । अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है । अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया ।

16. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

17. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य प्रश्न हैः–

1. "आया अभियुक्तगण विशनाराम, हड़मानराम, सुखदेव व हीराराम ने दिनांक 04.05.2017 को वक्त 04.00 पीएम के लगभग मौजा सरहद रेवाड़ा नयापुरा में परिवादी गुमानाराम के कब्जेशुदा खेत में लाठियाँ व धारदार हथियार लेकर अनाधिकृत प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया एवं परिवादी/मजरूब गुमानाराम, भंवरलाल, हरलाल, मिश्रीमल व जबरसिंह का रास्ता रोक उनके साथ स्वेच्छया मारपीट कर साधारण व गंभीर चोटें कारित की एवं मजरूब मिश्रीमल के सिर पर स्वेच्छया गंभीर उपहतियाँ कारित कर उसकी हत्या का प्रत्यन किया" ?
2. "यदि अवधार्य प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उचित दण्ड क्या होगा" ?

18. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित करवाये जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 24 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 22 प्रदर्शित करवाये हैं ।

19. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करवाए जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की है, उसमें पीडब्ल्यू 01 पुखराज सुथार नक्शे मौके का मौतबीर है जिसने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.04.2017 को पुलिस ने उसके व गणेशाराम के रूबरू उसके नयापुरा में आये हुये खेत का मौका देखा था । फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । **जिरह में इस कथन को सही बताया कि** मुलजिम हड़मान ने नाप का आदेश करवाया उसमें हड़मान के खातेदारी की 11 बीघा

भूमि पर हमारा कब्जा पाया गया था जो हड़मानराम के नाम की थी । उक्त कब्जा हटाने के लिए हड़मानराम ने हमारे खिलाफ सहायक कलेक्टर बालोतरा न्यायालय में दावा किया था । इस कथन को सही बताया है कि दिनांक 22.11.2016 को, हड़मान की खातेदारी की भूमि पर हमारे कब्जे को हटाने का निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ था । उसे यह नहीं पता कि दिनांक 04.05.2017 को उप तहसीलदार पाटोदी मय पुलिस जाब्ते के मौके पर आए या नहीं । प्रदर्श पी 01 पर उसने हस्ताक्षर पचपदरा थाने में किए थे । वह मौके पर नहीं गया था ।

20. पीडब्ल्यू 02 परिवादी/आहत गुमानराम है, ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2017 को वह और उसके भाई भंवरलाल, हरलाल, जबरसिंह व मिश्रीमल उसके खेत सरहद रेवाड़ा नयापुरा में खड़े थे । दिन के चार बजे हीराराम, विशनाराम, सुखदेव, रमेश और हड़मानराम हाथों में लाठियाँ व लोहे के सरिये लेकर उनके खेत पर कब्जा करने के लिये आये । पहले उसके साथ विशनाराम ने मारपीट की तब बीच–बचाव करने मिश्रीमल आया तो मिश्रीमल पर विशनाराम ने लोहे के सरिये से सिर पर वार किया । उसके (गुमानराम के) आंख व हाथों पर मारपीट की । जबरसिंह के साथ भी मुलजिमान ने मारपीट की जिससे जबरसिह के सिर पर चोट आई थी । पुलिस में पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । पुलिस ने मौका देखा था जो प्रदर्श पी 01 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । पुलिस वालों ने उसकी डॉक्टरी करवाई थी जो प्रदर्श पी 03 है । उसने खून आलूंदा कपड़े पुलिस वालों को दिये थे जिसकी फर्द प्रदर्श पी 04 है । सभी फर्दों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । **जिरह में कथन किया है कि** प्रदर्श पी 02 रिपोर्ट उसने पचपदरा थाने में लिखवाई थी । प्रदर्श पी 02 टाईप करने वाला पुलिस वाला था जिसने थाने में बैठकर टाईप की थी । मुलजिम हड़मानराम ने तहसीलदार से दिनांक 29.02.2016 को आदेश लेकर दिनांक 04.04.2016 को उक्त विवादित खेत का सीमा ज्ञान करवाया हो तो उसे जानकारी नहीं है । हड़मानराम, सुखदेव, हीराराम व विशनाराम ने पत्थर गड़ी करने का हमारे खिलाफ मुकदमा किया हो तो ध्यान नहीं क्योंकि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया था । उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 24.05.2016 को पत्थर गड़ी के आदेश की पालना में मौके पर नाप जौक कर दिनांक 26.06.2016 को पत्थर गड़ी की हो । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 26.06.2016 को की गई पत्थर गड़ी में राजस्व टीम द्वारा मुलजिम हड़मान की खातेदारी की 11 बीघा जमीन पर हमारे परिवार का अवैध कब्जा पाया हो । कब्जा प्राप्ति का दावा हड़मान ने सहायक कलेक्टर के समक्ष पेश किया हो इस बात की उसे जानकारी नहीं है

अजखुद कहा कि उन्हें तो नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ था और उन्होंने एक तरफा फैसला किया होगा तो उसे ध्यान नहीं । उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सहायक कलेक्टर बालोतरा न्यायालय से दिनांक 22.11.2016 को कब्जा हटाने का निर्णय व डिक्री उनके विरुद्ध हुई या नहीं । उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 04.05.2017 को उप तहसीलदार व पुलिस जाब्ता, 11 बीघा जमीन से कब्जा हटाने के लिए आए थे या नहीं । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 02 मे मुलजिमान द्वारा उन्हें घेरकर व रोककर मारपीट करने की बात लिखी हुई नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 02 में मुलजिम हड़मान, सुखदेव व हीराराम के द्वारा मिश्रीमल के साथ मारपीट करने का उल्लेख नहीं है । इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श पी 01 में अ, क, तथा ब, ख के बीच में कोई निर्माण दर्शाया हुआ नहीं है अजखुद कहा कि निर्माण मुलजिमान द्वारा तोड़ दिया गया था । इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी 01 में तोड़े हुए निर्माण का मलबा होने का भी लिखा हुआ नहीं है स्वतः कहा कि मलबा भी रात में उठाकर ले गए थे । इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी 02 में यह लिखा हुआ नहीं है कि मुलजिमानों ने निर्माण तोड़ दिया हो और उसका मलबा उठाकर ले गए हो । इस कथन को सही बताया है कि हड़मान की उम्र जिस रोज घटना होना बता रहा है उस रोज 75 वर्ष से ऊपर थी । प्रदर्श पी 01 पर उसने पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर किए थे, पढ़कर नहीं किए थे । पुलिस वालों ने घटनास्थल से उसके सामने खून आलूंदा मिट्टी व अन्य कोई सबूत नहीं लिए थे । इस कथन को गलत बताया कि उसने व उसके भाई रामलाल ने हड़मान की 11 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की हो और पुलिस न्यायालय के आदेश की पालना में मौके पर आई हो इसलिए उन्होंने परिवादी हनुमान के साथ मारपीट की हो स्वतः कहा कि मुलजिमान ने उनके साथ मारपीट की थी। इस कथन को गलत बताया कि उसने व उसके साथियों ने हड़मान के घर में घुसकर हड़मान व उसके घर की स्त्रियों के साथ मारपीट की हो जिसका मुकदमा दर्ज हुआ हो स्वतः कहा कि मारपीट खेत में हुई थी । इस कथन को गलत बताया है कि मिश्रीमल के उन्होंने जो पत्थर हड़मान के ऊपर फेंके थे उनमें से किसी पत्थर की चोट लगी हो स्वतः कहा कि चोट लोहे की रोड़ से लगी थी जो विशनाराम ने मारी थी ।

21. पीडब्ल्यू 03 बाबूराम ने सशपथ कथन किया है कि उसका खेत रेवाड़ा नयापुरा में आया हुआ है । खेत में काका व परिवार सहित रहता है । उसके खेत के सेडासेड हनुमानाराम पुत्र लक्ष्मणराम का खेत आया हुआ है । उसके बयान से करीब दो वर्ष पहले की बात है उसके व हनुमानाराम के बीच खेत को लेकर विवाद हुआ था । इस समय में

बॉम्बे हैदराबाद बाहर थे, फिर घर पर आये । हड़मानाराम ने खेत का उनसे अलग सीमाज्ञान करवाया था तब उन्हें नहीं बुलाया था । करीब चार बजे उनके परिवार के गुमानाराम, मिश्रीलाल, हरलाल, जबरसिंह व भंवरलाल उनके खेत में गये । उनके खेत में हड़मानाराम के परिवार की औरतें लकड़ियां ले रही थी जिन्हें उन्होंने मना किया तो वो अपने खेत में चली गई । फिर उनके परिवार से हड़मानाराम, विशनाराम, सुखराम, हीरालाल व शंकरसिंह राजपुरोहित हाथों में लाठियां, लोहे का सरिया, पत्थर व धारदार हथियार लेकर आये और खेत में आते ही इन्होंने मिश्रीलाल, भंवरलाल, गुमानाराम व जबरसिंह के साथ में मारपीट की । मिश्रीमल के सिर में चोट लगी जिससे वह बेहोश हो गया । चिल्लाने की आवाज पर वे घर से बीच–बचाव करने गये जिसमें उसके साथ पीरपुरी व मोहनलाल थे । उन्होंने इन लोगों को लहुलुहान हुए देखा तो ये लोग अपने खेत में भाग गये थे । **जिरह में इस कथन को सही बताया है कि** उसके विरुद्ध हड़मान, उसके लड़कों व उसकी पुत्रवधुओं के साथ मारपीट का मुकदमा चल रहा है । विवाद वाले खेत का क्षेत्रफल 11 बीघा है । इस कथन को सही बताया कि हड़मानराम का कहना है कि विवाद वाले खेत की 11 बीघा खातेदारी उसकी है और हमारा कहना है कि कब्जा हमारा है । उसे यह जानकारी नहीं है कि हड़मानराम ने खातेदारी भूमि का तहसीलदार से आदेश प्राप्त कर सीमाज्ञान करवाया या नहीं और सीमाज्ञान के बाद नेखमबंदी का आदेश एसडीओ कोर्ट बालोतरा से प्राप्त कर मौके पर राजस्व टीम द्वारा नेखमबंदी कर पत्थर गड़ी की हो । उसे यह ध्यान नहीं कि 11 बीघा जमीन पर उनका अवैध अतिक्रमण था उसे हटाने के संबंध में हड़मानराम ने एसडीओ कोर्ट में दावा किया या नहीं । उसे यह जानकारी नहीं है कि दिनांक 22.11.2016 को हड़मानराम का दावा डिक्री करके अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ या नहीं । इस कथन को गलत बताया कि दिनांक 22.11.2016 को हुए फैसले की पालना में उप तहसीलदार पाटोदी मय पुलिस जाब्ता दिनांक 04.05.2017 को मौके पर आए हो । इस कथन को सही बताया है कि उक्त 11 बीघा विवादित भूमि खुली काश्त योग्य है जिस पर कोई मकान, झोपड़ी या टांका नहीं था । इस कथन को गलत बताया है कि उन्होंने हड़मानराम, उसके पुत्र व पुत्रवधुओं के साथ उनके घर में जाकर मारपीट की हो उस मुकदमें से बचने के लिए यह झूँठा मुकदमा किया हो । इस कथन को गलत बताया है कि हम लोगों ने पत्थर व गेडी (बड़ी लाठी) लेकर हड़मान के घर जाकर उनके साथ मारपीट की हो और उससे मिश्रीमल के लगी हो । वह गया तब लड़ाई चल रही थी, उसने देखा तो वे लोग भाग गए थे, उनके हाथ में लगीये थे । वह गया तब तक मिश्रीमल बेहोश हो चुका था । गणेशराम, गुमानाराम व

मिश्रीमल उसके सगे भाई है । इस कथन को गलत बताया है कि हड़मान वगैरा ने कोई घटना कारित नहीं की हो ।

22. पीडब्ल्यू 04 जगदीश ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2017 को वह नयापुरा रेवाडा सड़क से गुजर रहा था जैसे ही वह हडमानाराम के घर के पास पहुँचा तो मोहनराम, कालूराम, जीवाराम व अन्य बहुत सारे लोग हडमानाराम व उनके लडके हीराराम, विशनाराम, रमेश व सुखदेव पर हमला कर रहे थे । मोहनराम वगैरह् ने हडमानाराम के घर पर पत्थर फेंके थे । पीरपुरी व जबरसिंह के पास बोलेरो गाडी थी जिसे घुमाया जिससे मिश्रीमल के चोटें आई थी । **जिरह में इस कथन को सही बताया है कि** मुलजिमान हड़मानाराम, विशनाराम, हीराराम व सुखदेव ने मिश्रीमल, भंवरलाल, हरलाल, गुमनाराम व जबरसिंह के साथ कोई मारपीट नहीं की थी । इस कथन को सही बताया कि मिश्रीमल, भंवरलाल, हरलाल, गुमनाराम, जबरसिंह व पीरपुरी वगैरा हड़मानाराम के घर में घुसे थे तथा उनके साथ मारपीट व उनके घर में तोड़फोड़ की थी ।

23. पीडब्ल्यू 05 मिश्रीमल आहत है, ने सशपथ कथन किया है कि वह परिवार सहित रेवाड़ा नयापुरा गांव में अपने खेत में स्थित ढाणी में रहता है । दिनांक 04.05.2017 को उसके गांव में खेत की पैमाईश के लिए पटवारी, आरआई व तहसीलदार आये हुए थे जिन्हें हड़मानाराम ने बुलाया था । विवादित खेत की पैमाईश हो रही थी । वह, भंवरलाल, जबरसिंह, गुमनाराम, हरलाल व पीरपुरी खेत की पेमाईश देखने के लिए गये तो सेडे पर हड़मानाराम, विशनाराम, सुखदेव, रमेश व शंकरसिंह पुरोहित पत्थर लेकर आये । हड़मानाराम ने उसके सिर पर पत्थर मारा उसके बाद विशनाराम ने सिर पर लाठी या कुल्हाडी की चोट मारी । उसे भंवरलाल, जबरसिंह, गुमनाराम, हरलाल व पीरपुरी छुड़ाने आये तो मुलजिमान ने इनके साथ भी मारपीट कर चोटें पहुंचायी थी । उसके सिर पर चोटें लगने से व ज्यादा खून बहने के कारण वह बेहोश हो गया । उसके आयी चोटों की डॉक्टरी करवाई थी । मुलजिमान ने खेत के विवाद के चलते उसके साथ मारपीट की थी । घटना की रिपोर्ट गुमनाराम ने पुलिस को दी थी । उसकी चोटों का ईलाज जोधपुर में चला था । उसके सिर में लगी चोटों के फोटोग्राफ्स पेश किये थे । **जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि** वे घटनास्थल पर पन्द्रह जने गए हो अजखुद कहा कि चार लोग जिनमें वह, पीरपुरी, जबरसिंह, गुमानाराम व हरलाल गए थे । घटनास्थल पर कौन–कौन लोग आए उसे पता नहीं अजखुद कहा कि उसके ज्यादा चोट लगने से वह बेहोश हो गया था । बाबुराम पुत्र टीकमाराम उसका सगा भाई है । बोलरो गाड़ी मौके पर पीरपुरी लेकर आया था । जिस स्थान पर खेत का माप हो रहा

था वहॉं से उसका घर 200 मीटर दूरी पर है । इस कथन को सही बताया कि दिनांक 04.05.2017 को उनके घर पर शादी की सभा थी जिसमें मेहमान आए हुए थे । इस कथन को सही बताया कि उक्त घटना को घर में आए हुए मेहमानों ने देखा था । इस कथन को सही बताया कि पुलिस ने उसके बयान लिए थे । पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 का ए से बी भाग "मेरे सिर.........नहीं है", सी से डी भाग "हमारे परिवार.........नहीं है" व ई से एफ भाग "मेरे सिर..........नहीं है" ऐसे बयान पुलिस को नहीं दिए थे । इस कथन को सही बताया कि उसके, जबरसिंह, पीरपुरी, जीवाराम, गणपतलाल, गुमानाराम, भंवरलाल, बाबुराम, किशनाराम, जसराज, पुखराज, कालूराम, बालाराम व हरलाल के विरुद्ध मुलजिमान के द्वारा किया गया मुकदमा चल रहा है । इस कथन को सही बताया कि जगदीश पुत्र कालूराम प्रजापत निवासी रेवाड़ा से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है तथा घर पर आए हुए मेहमानों से भी कोई दुश्मनी नहीं है । इस कथन को गलत बताया कि उन्होंने मुलजिमान के घर पर पत्थरबाजी की हो जिससे हड़बड़ाहट में किसी ने उसके बोलेरो से टक्कर मारी हो जिससे उसके सिर पर चोट आई हो । इस कथन को सही बताया कि मुलजिमान व उनका खेत जुड़ता है । इस बात की जानकारी नहीं होना बताया कि मुलजिमान की 11 बीघा जमीन पर हमारा कब्जा हो । इस कथन को सही बताया कि मुलजिमान ने एसडीओ कोर्ट में हमारे विरुद्ध जमीन का कब्जा प्राप्त करने का दावा कर रखा है । इस कथन को गलत बताया कि बोलेरो गाड़ी से उसके चोटें आई हो एवं जमीन के विवाद के चलते मुलजिमान को झूँठा फंसाया हो । इस कथन को गलत बताया कि उसने पुलिस को रोड़ एक्सीडेंट में चोटें लगने की बात बताई हो ।

24. पीडब्ल्यू 06 भंवरलाल आहत है, ने सशपथ कथन किया है कि रेवाड़ा नयापुरा गांव में उसके पिताजी का खातेदारी खेत आया हुआ है । दिनांक 04.05.2017 को सुबह हड़मानाराम ने उप तहसीलदार, हल्का पटवारी तथा अन्य लोगों को खेत के सेडे के माप के लिए बुलाया था जो खेत का माप करके चले गये थे । उस रोज दोपहर बाद साढे तीन बजे वह, मिश्रीमल, गुमनाराम, हरीराम सेड़े का माप देखने के लिए गये थे । जब वे सेडे पर पहुंचे तो विशनाराम, हडमानाराम, सुखदेव रमेश व दो तीन अन्य व्यक्ति व औरतें आये और उन्होंने लाठियों व पत्थरों से उनके साथ मारपीट करना शुरु कर दिया । विशनाराम ने उसके सिर पर लाठी मारी । विशनाराम व सुखदेव ने मिश्रीमल के सिर पर पत्थर व लाठियों से चोटें कारित की । मिश्रीमल के सिर में चोटें लगने से उसका सिर फट गया और खून बहने लगा जिससे वह बेहोश गया । उनकी चीखे सुनकर हरीराम, रामलाल, जबरसिंह व अन्य मौके पर आये । बीच–बचाव करने के दौरान गुमनाराम,

हरीराम व जबरसिंह के भी चोटे आयी थी । घायलों को पीरपुरी की गाड़ी में डालकर पचपदरा अस्पताल ले जाया गया । मिश्रीमल की हालत गंभीर होने से नाहटा अस्पताल बालोतरा लेकर गये जहां से उसे मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर के लिए रेफर किया जहां पर उसका ईलाज चला था । उनके व मुलजिमान के बीच खेत के सेडे को लेकर विवाद हुआ था । उसके शरीर पर आयी चोटों की डॉक्टरी करवाई थी । चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । घटना की रिपोर्ट उसके भाई गुमनाराम ने थाने में दर्ज करवाई थी । मजरूब जबरसिंह के वक्त घटना पहना कमीज उसके व गुमनाराम के रूबरू पेश किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 04 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । **जिरह में इस कथन को सही बताया है कि** जमीन का माप करने का आदेश हड़मानाराम ने करवाया था । इस कथन को गलत बताया कि हड़मानाराम की 11 बीघा जमीन पर हमारा कब्जा हो । घटनास्थल पर वह, मिश्रीमल, जबरसिंह व रामलाल पैदल गए थे । घटना के बाद चार जने हीराराम, गुमानाराम, बालाराम व पूनमाराम 15–20 मिनट बाद पैदल आए थे । इनके बाद मौके पर कौन आया उसे जानकारी नहीं है । इस कथन को सही बताया कि घटना के रोज उसके घर पर शादी थी और घर पर आए मेहमानों ने भी घटना देखी थी । मेहमानों से भी पुलिस ने एक–दो जनों से पूछताछ की थी । मेहमानों में से पोकरराम, छगनसिंह व गजेसिंह से पूछताछ की थी । पुलिस ने घटना के दो दिन बाद उसके बयान लिए थे । पुलिस ने बयान लिए उस रोज वह अस्पताल में भर्त्ती था । इस कथन को सही बताया कि जगदीश प्रजापत से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है । इस कथन को सही बताया कि उसके, बाबुराम, किशनाराम, जसराज, मिश्रीमल, पुखराज, कालूराम, बालाराम, हरलाल, पीरपुरी, जबरसिंह, जीवाराम, गणपतलाल व गुमनाराम के विरुद्ध मुलजिम हड़मान, विशनाराम वगैरा के साथ मारपीट करने का मुक़दमा चल रहा है । घटनास्थल पर खून गिरा था । पुलिस ने उसके रुबरु मौके से खून आलूंदा मिट्टी उठाई थी जो घटना के दूसरे दिन उठाई थी । पुलिस ने खून आलूंदा मिट्टी की फर्द बनाई थी उसके हस्ताक्षर करवाए थे या नहीं उसे याद नहीं है । इस कथन को सही बताया कि जिस दिन पुलिस ने खून आलूंदा मिट्टी उठाई थी उस रोज वह पचपदरा अस्पताल में भर्त्ती था । अस्पताल में भर्ती होने के कागज व डिस्जार्च टिकट पुलिस को नहीं दिए थे । घटना से 20 मिनट पहले बोलेरो गाडी आई थी जिनमें पीरपुरी, रामलाल व दो अन्य जने सवार थे । इस कथन को सही बताया कि पीरपुरी व जबरसिंह उनके परिवार के सदस्य नहीं है । इस कथन को गलत बताया कि उन्होंने हड़मानराम व उनके परिवार के सदस्यों पर पत्थर फेंके हो । पत्थरबाजी के दौरान हड़मान व पीरपुरी ने बोलेरो

गाड़ी को तेजी से घुमाया हो जिसकी टक्कर लगने से उसके व मिश्रीमल के चोटें आई हो । इस कथन को सही बताया कि मुलजिम हड़मानराम ने हमारे विरुद्ध जमीन का कब्जा प्राप्ति का दावा एसडीओ कोर्ट बालोतरा में किया है जो विचाराधीन है । मिश्रीमल को उसका भाई बाबुराम, भगाराम व बालाराम जोधपुर अस्पताल लेकर गए थे । इस कथन को सही बताया कि बाबुराम, भगाराम व बालाराम की उससे व मिश्रीमल से कोई दुश्मनी नहीं थी । इस कथन को गलत बताया कि बाबुराम, भगाराम व बालाराम ने जोधपुर अस्पताल में मिश्रीमल के ईलाज के दौरान उसकी चोटें रोड़ एक्सीडेंट में लगने की बात बताई हो । इस कथन को गलत बताया कि मुलजिम व उनके बीच में जमीन का विवाद होने से एक्सीडेंट में लगी चोटों को मारपीट में लगना बताकर मुलजिमान के विरुद्ध झूँठा मुकदमा किया हो ।

25. पीडब्ल्यू 07 पोकरराम आहत ने सशपथ कथन किया है कि उसका ससुराल रेवाड़ा नयापुरा में है । दिनांक 04.05.2017 को वह उसके ससुराल में कालूराम की पोतियों व गणपतलाल के लड़के की शादी की सभा में गया हुआ था । उस रोज हडमानाराम व मिश्रीमल के खेत के सेड़े की पैमाईश करने उप तहसीलदार व पटवारी वगैरह् आये हुए थे । पैमाईश के समय मिश्रीमल व भंवरलाल के परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था । दोपहर बाद तीन–साढ़े तीन बजे के करीब हड़मानाराम के परिवार वाले सेडे पर लकड़ियां रोपने के लिए आये जिस पर मिश्रीमल, जबरसिंह, भंवरलाल व हरीराम गये उस समय हड़मानाराम के परिवार व इन लोगों के बीच हो–हल्ला शुरु हुआ । उसके बाद गुमनाराम, जसराज व हरीराम गये तो उनके साथ मारपीट की । विशनाराम, सुखराम व औरतें जिनके पास लाठिया थीं जिन्होंने मारपीट की । मिश्रीमल के साथ लाठियों से मारपीट होने से वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया था । मारपीट से भंवरलाल, गुमानाराम व हरीराम के भी चोटें आयी थी । मिश्रीमल के पत्थर व लाठी लगने से चोटें आयी थी । **जिरह में कथन किया है कि** मिश्रीमल, बाबुराम, गुणेशाराम, भगाराम व गुमानाराम उसके सगे साले हैं । वह झगड़े के पॉच मिनट बाद पहुँचा था । उस रोज कालूराम के घर सभा थी । घटनास्थल पर पीरपुरी गाड़ी लेकर आया था । पीरपुरी मौके पर मिश्रीमल के साथ ही गया था । इस कथन को सही बताया कि उसके पुलिस में बयान हुए थे पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 का ए से बी भाग "शाम करीब........अंदर आये", सी से डी भाग "तथा.........करने लगे", ई से एफ भाग "तब हड़मानराम......शुरु कर दी" व जी से एच भाग "तब.....नुकसान पहुँचा" ऐसे बयान देने से मना किया व पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 का आई से जे भाग "पत्थरबाजी.......आई थी" पुलिस को ऐसे बयान देना बताया

है । बालाराम की मिश्रीमल से कोई दुश्मनी नहीं थी । इस कथन को गलत बताया कि मुलजिम व उसके ससुराल वालों के बीच जमीन का विवाद होने से एक्सीडेंट में लगी चोटों को मारपीट में लगना बताकर मुलजिमानों के विरुद्ध झूँठा मुकदमा किया हो ।

26. पीडब्ल्यू 08 गजेसिंह ने सशपथ कथन किया है कि 2017 की बात है । वह कालूजी के घर पर शादी में आया हुआ था । गुमानाराम, भंवरलाल, हरीराम व मिश्रीमल के साथ खेत के विवाद को लेकर हडमानराम, सुखाराम, विशनाराम, हीराराम व रमेश ने मारपीट की । मुलजिमान ने जबरसिंह व मिश्रीमल के साथ मारपीट की । हो–हल्ला सुनकर वह मौके पर गया था । उसने मुलजिमान को मिश्रीमल के सिर में पत्थर मारते व चोटें मारते देखा । उसने बीच–बचाव कर मिश्रीमल व जबरसिंह को छुडाया तथा ईलाज हेतु अस्पताल भेजा । **जिरह में कथन किया कि** झगड़ा होने पर सबसे पहले वह, गजेसिंह व एक अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर गए थे । उनके मौके पर पहुँचने से पाँच मिनट पहले झगड़ा हुआ था । पीरपुरी व एक–दो जने उनसे पहले घटनास्थल पर पहुँचे थे । पीरपुरी वगैरा घायलों को अस्पताल में भर्त्ती करवाने के लिए मौके पर आए थे । उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे व पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी । पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 का ए से बी भाग "शाम के करीब.........मारपीट की थी" ऐसे बयान पुलिस को देने से मना किया । इस कथन को गलत बताया कि मिश्रीमल व हड़मानराम के बीच में जमीन का विवाद होने से मिश्रीमल वगैरा ने मुलजिमान के विरुद्ध झूँठा मुकदमा किया हो ।

27. पीडब्ल्यू 09 छगनसिंह ने सशपथ कथन किया है कि उसके बयान से करीब आठ साल पहले वह रेवाडा सोढ़ा निवासी कालूराम की पोतियों की शादी की सभा में गया था । कालूजी व हनुमानजी के खेत के सेडे पर लड़ाई व बोलचाल की आवाज सुनकर वह सभा से उठकर सेडे पर गया था । उसने मिश्रीमल को बेहोश पड़ा हुआ देखा था जिसे पीराराम की गाड़ी में अस्पताल में लेकर गये थे । **जिरह में इस कथन को सही बताया है कि** उसने घटना नहीं देखी थी तथा घटना के बाद मौके पर पहुँचा था ।

28. पीडब्ल्यू 10 खरथाराम ने सशपथ कथन किया है उसके बयान से करीब सात–आठ साल पहले की बात है । वह रेवाडा नयापुरा निवासी कालूजी की पोतियों की शादी की सभा में गया था । सभा में मिश्रीमल को बेहोश की हालत में लेकर आए थे । लड़ाई कहाँ पर हुई थी उसे पता नहीं है । **जिरह में कथन किया कि** मिश्रीमल मारपीट से बेहोश हुआ था । मारपीट किसने की थी उसे जानकारी नहीं है ।

29. पीडब्ल्यू 11 चनणाराम ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2017 को वह रेवाडा नयापुरा गांव में कालूरामजी की पोतियों की शादी में गया हुआ था ।

गणपतलाल व कालूरामजी के परिवार के खेत में हीरालाल, विशनाराम, हड़मानजी, सुखदेव व दो–तीन औरतें आयी और मिश्रीमल व भंवरलाल के साथ मारपीट शुरु की । मारपीट में मिश्रीमल व भंवरलाल के ज्यादा चोटें आयी । वह झगड़े की आवाज सुनकर मौके पर गया । **जिरह में कथन किया कि** उसके पुलिस बयान हुए थे । पुलिस बयान प्रदर्श डी 04 का ए से बी भाग "शाम करीब.........अंदर आए", सी से डी भाग "तथा......करने लगे", ई से एफ भाग "तब हड़मानाराम.........शुरु कर दी" व जी से एच भाग "तो हड़मानराम.......चोटें आई" ऐसे बयान पुलिस को देने से मना किया । हड़मानजी के परिवार की औरते व हड़मानजी के चोटें नहीं आई थी । इस कथन को गलत बताया कि परिवादी पक्ष 10–15 लोग हो और पीरपुरी ने गाड़ी हड़बड़ाहट से घुमाई हो जिससे मिश्रीमल के चोटें आई हो । उसे इस कथन की जानकारी नहीं होना बताया कि मिश्रीमल के गाड़ी से चोटें लगने की बात अस्पताल में बताई हो । इस कथन को सही बताया कि मिश्रीमल का रिश्तेदार होने से मुलजिमान द्वारा मारपीट करने की बात बता रहा है ।

30. पीडब्ल्यू 12 गेनाराम ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2017 को वह उसके गांव के कालूराम सुथार की पोतियों की शादी में गया था । कालूराम के परिवार व हडमानराम के परिवार बीच में सेड़े के विवाद को लेकर लड़ाई हुई थी । हडमानराम के परिवारजनों ने कालूराम के परिवारजनों के साथ लाठियों से मारपीट की थी । बाद में पुलिस आई थी । घटना के बाद गॉव वाले घायलों को अस्पताल लेकर गए थे । उसे इतनी ही जानकारी है । **जिरह में कथन किया कि** लड़ाई के समय वह कालूराम की सभा में था । इस कथन को सही बताया कि उसका घटनास्थल पर जाने का काम नहीं पड़ा था । वह मौके पर नहीं गया था इसलिए नहीं बता सकता कि घायलों के चोट कैसे लगी अजखुद कहा कि उसने चोटें लगी हुई देखी थी । इस कथन को सही बताया कि मौके पर जबरसिंह व पीरपुरी गाड़ी लेकर गए थे ।

31. पीडब्ल्यू 13 मोहनपुरी पक्षद्रोही रहा है, जिसने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2017 में कालूराम व हड़मानराम के बीच में क्या विवाद हुआ था उसे जानकारी नहीं है । उसने इनके बीच में कभी झगड़ा होते हुए नहीं देखा । **लोक अभियोजक द्वारा दी गई जिरह में** पुलिस में बयान नहीं होना तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 का ए से बी भाग "दिनांक 04.05.2017.....हालत में देखा था" पुलिस को देने से मना किया । इस कथन को गलत बताया कि दिनांक 04.05.2017 को परिवादी गुमनाराम के खेत में अनाधिकृत रुप से घुसकर अभियुक्तगण विशनाराम, हड़मानाराम, सुखदेव व हीराराम ने गुमानाराम के परिवार वालों के साथ लाठियों व हथियारों से

मारपीट कर उन्हें गंभीर चोटें पहुँचाई हो । इस कथन को गलत बताया कि वह आज मुलजिमान को बचाने के लिए झूँठे बयान दे रहा है । बचाव पक्ष की ओर से कोई **जिरह** नहीं की है ।

32. पीडब्ल्यू 14 जोगाराम ने सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2017 की बात है । वह गणपतजी के घर पर शादी की सभा में गया था । उसने वहाँ पर झगडे के बारे में सुना था। मिश्रीमल के साथ हडमानराम के परिवार वालों ने मारपीट की थी जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया था । मिश्रीमल को ईलाज के लिए अस्पताल लेकर गए थे, उनके साथ वह भी अस्पताल गया था । मौके पर काफी लोग थे । **जिरह में इस कथन को सही बताया है कि** उसका झगड़ा हुआ उस स्थान पर जाने का काम नहीं पड़ा था अजखुद कहा कि उसने गाडियों के टायरों के निशान देखे थे । मौके पर गा़डियों के टायरों के निशान के अलावा पत्थर, लाठी व शस्त्र पड़े थे । मौके पर पीरपुरी, जबरसिंह व मिश्रीमल वगैरा चार–पॉच लोग गए थे । पुलिस बयान प्रदर्श डी 05 का ए से बी भाग "शाम करीब........करने", सी से डी भाग "तब हड़मानराम........शुरु कर दी" व ई से एफ भाग "तब.........चोटें आई" ऐसे बयान देने से मना किया । वह झगड़े के आधा घंटे बाद मौके पर गया था ।

33. पीडब्ल्यू 15 पीरपुरी ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2017 को भंवराराम की लडकी की शादी में उसकी गाडी बोलेरो किराये पर लगाई हुई थी । उस रोज वह कालूराम की पोती की शादी की सभा में रैवाडा नयापुरा में बैठा था । कालूराम व हडमान का आपस में पूर्व में खेत का विवाद चल रहा था। हनुमानजी के परिवार की औरतें खेत में लकडियाँ वगैरह् बीनने के लिये गई तो रामलाल ने लकडियाँ लेने से औरतों को मना किया तो वहाँ खड़े विशनाराम, हीराराम, हनुमानाराम, रमेश कुमार और चार–पाँच व्यक्ति और थे जिनके हाथ में धारदार लाठियाँ व हथियार थे । विशनाराम ने मिश्रीमल के सिर पर लाठी से मारी तब मिश्रीमल जमीन पर गिर गया । जब झगडा हुआ तब मौके पर ही वह उसकी गाडी में मिश्रीमल को बैठाकर ईलाज हेतु पचपदरा अस्पताल लेकर आया जहां से मिश्रीमल को जोधुपर रैफर किया गया । **जिरह में कथन किया कि** उसकी गाड़ी जो भंवराराम के यहॉ शादी में किराये पर लगाने की बात कर रहा है उसके नंबर आर जे 04 यूए 0434 थे । उसके नाम की उक्त एक गाड़ी ही थी । इस कथन को सही बताया कि बोलेरो गाड़ी नंबर आर जे 19 यूए 3468 उसके मालिकाना की नहीं थी । जब वह मौके पर गया उस समय उसके साथ गाड़ी में रामलाल, हरलाल, मिश्रीमल व जब्बरसिंह ही थे । सभा वाले घर से जहॉ औरते लकडियॉ बीन रही थी उसके बीच में

200 मीटर की दूरी थी । मौके पर पत्थर फेंके थे या नहीं उसे जानकारी नहीं है । उसने पत्थर आदि नहीं देखे । इस कथन को सही बताया कि उसके व रामलाल वगैरा के विरुद्ध हड़मानाराम वगैरा ने मुकदमा किया है जो विचाराधीन है अजखुद कहा कि मुकदमा झूँठा है । उसने मौके पर खून पड़ा हुआ देखा था । उसे पता नहीं कि मौके पर खून उठाया था या नहीं । मौके पर उसकी गाड़ी में पॉच लोग ही थे बाकी कितने थे उसे पता नहीं । वह अस्पताल साथ में गया था । इस कथन को सही बताया कि उसके कालूराम के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है फिर कहा कि भगाराम से धर्मेला है व भगाराम कालूराम का भतीजा है । इस कथन को गलत बताया है कि वह उसके मालिकाना की गाड़ी आर जे 04 यूए 0434 लेकर अकेला ही घटनास्थल पर गया हो और गाड़ी को जोरदार तेजगति से घुमाने से मिश्रीमल के बंपर की चोट लगी हो । इस कथन को गलत बताया कि उसकी गाड़ी संख्या आर जे 04 यूए 0434 के आगे लगे बम्पर की चोट मिश्रीमल के लगने से खून व बाल गाड़ी के लगे हो इस कारण से पुलिस को गाड़ी के दूसरे नंबर बताए हो । वह घटना से पहले मौके पर नहीं गया था । इस कथन को गलत बताया कि उसके विरुद्ध मुलजिम पक्ष द्वारा किए गए मुकदमें के कारण उनके विरुद्ध झूँठे बयान दे रहा है ।

34. पीडब्ल्यू 16 बाबूसिंह ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2017 को वह उप तहसीलदार पाटौदी के पद पर कार्यरत था । उस रोज उसके पास नायब तहसीलदार पचपदरा का अतिरिक्त प्रभार था । उस रोज तहसीलदार पचपदरा के आदेश व उपखंड अधिकारी बालोतरा के निर्णय की पालना में वह, खंगाराराम भू–अभिलेख निरीक्षक थोब व हल्का पटवारी कालूराम मय पुलिस जाब्ता के ग्राम रेवाड़ा नयापुरा के खेत खसरा नंबर 56 पर पहुंचे । जहां पर 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि से रामलाल वगैरह् के अवैध कब्जे को हटाकर हनुमानराम को देना था लेकिन प्रतिवादी रामलाल वगैरह् के घर पर शादी थी जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने शादी के बाद आदेश पालना करने की सहमति प्रकट की जिससे उस रोज वादीगण को कब्जा नहीं दिलाया जा सका । बचाव पक्ष की ओर से कोई **जिरह** नहीं की है ।

35. पीडब्ल्यू 17 डॉ. प्रेम प्रकाश सुथार ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.05.2017 को सीएचसी पचपदरा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते पुलिस थाना पचपदरा की तहरीर पर मजरूब गुमानराम के शरीर पर आई चोटों का निरीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 तैयार किया । मजरूब के शरीर पर कुल चार चोटें भोंटे हथियार से कारित थी । चोट संख्या 01, 02 व 03 साधारण प्रकृति की थी व चोट संख्या 04 लिए एक्स–रे करवाकर एक्स–रे राय प्राप्त की गई थी जो प्रदर्श पी 07 है

व जिस पर सी से डी एक्स–रे राय अंकित है । उसी रोज मजरूब भंवरलाल के शरीर पर आई चोटों का निरीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05 तैयार किया । मजरुब के शरीर पर कुल दो चोटें भोंटे हथियार से साधारण प्रकृति की कारित की हुई पाई गई थी । उसी रोज मजरूब मिश्रीमल के शरीर पर आई चोटों का निरीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 तैयार किया जिस पर जी से एच परीक्षण के समय मजरूब की क्लिनिकल स्थिति का विवरण अंकित है । मजरूब के शरीर पर कुल दो चोटें भोंटे हथियार से कारित थी जिनकी प्रकृति जानने के लिये एक्स रे की सलाह दी गई थी । मजरूब की क्लिनिकल स्थिति सही नहीं होने के कारण आगामी ईलाज के लिये उच्च चिकित्सा संस्थान पर रैफर किया गया । उसी रोज मजरूब हरलाल पुत्र कालूराम के शरीर पर आई चोटों का निरीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 तैयार किया । मजरूब के शरीर पर पाई गई दोनो चोटें साधारण प्रकृति व भोंटे हथियार से कारित थी । उसी रोज मजरूब जबरसिंह के शरीर पर आई चोटो का निरीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 तैयार किया । मजरूब के शरीर पर कुल दो चोटें भौंटे हथियार से कारित थी व दोनों चोटों की प्रकृति के लिये एक्स–रे की राय दी गई थी । एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 पर सी से डी एक्स–रे राय अंकित है जिसके अनुसार दोनों चोटें साधारण प्रकृति की थी । **जिरह में इस कथन को सही बताया है कि** प्रदर्श पी 08 मे वर्णित चोट संख्या 01 व 02 गाड़ी के बम्पर से टकराने से आना संभव है परन्तु एक चोट सिर में आगे की तरफ व एक चोट पीछे की तरफ आई है । बम्पर से टकराने से एक चोट व दूसरी तरफ की चोट सामने किसी सख्त धरातल/पत्थर पर गिरने/टकराने से आना संभव है । प्रदर्श पी 10 में वर्णित चोट संख्या 02 पत्थर पर गिरने से आना संभव है । झाडियों में काम करने से आना संभव है । प्रदर्श पी 09, 03 व 05 में वर्णित चोट सीढियों से गिरने से आ सकती है ।

36. पीडब्ल्यू 18 मोहनलाल ने सशपथ कथन किया है कि उसका खेत रेवाडा नयापुरा में आया हुआ है जिससे लगते ही प्रजापतों का खेत आया हुआ है । उसके बयान तिथि से करीब पांच साल पहले उनके खेत की सीमा को लेकर झगडा हुआ था । दिन को 02 बजे वह उसका खेत देखने गया तब विशनाराम, हीराराम, सुखदेव, शंकरजी पुरोहित व नरपत पुरोहित हमलावार होकर आए और विशनाराम ने मिश्रीमल के सिर में लाठी की चोट मारी । सिर पर काफी लगी और 07 से 08 टांके आए थे । मारपीट में भंवरलाल के चोट लगी थी जो हीरालाल ने मारी थी । गुमानाराम के चोट लगी थी जो सुखदेव ने मारी थी । पाबूराम व हीरालाल के भी मारपीट में चोटें आई थी । मुलजिमान हमारे खेत पर कब्जा करना चाहते थे इस बात को लेकर मारपीट की थी । **जिरह में इस कथन को सही**

बताया है कि जिस स्थान पर झगड़ा होना बता रहा है वहाॅ पीरपुरी गाड़ी लेकर आया था अजखुद कहा कि एक घंटे बाद आया था । इस कथन को गलत बताया कि पीरपुरी गाड़ी लेकर आया उस समय गुमानाराम, रामलाल व जबरसिंह साथ में हो अजखुद कहा कि मिश्रीमल को अस्पताल लेकर गए तब साथ थे । इस कथन को सही बताया कि जिस जगह घटना होना बता रहा है वो मुलजिम हड़मानराम के खातेदारी की थी । इस कथन को गलत बताया कि हमने मुलजिमान की 11 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है । इस कथन को सही बताया कि बालोतरा सहायक कलेक्टर न्यायालय में हमारे विरुद्ध दावा चल रहा है तथा इस कथन को सही बताया कि तहसीलदार व पटवारी हमारा कब्जा हटाने के लिए मौके पर आए थे । इस कथन को गलत बताया कि पीरपुरी की गाड़ी का बम्पर उसके लगा हो, जिससे चोटें आई हो ।

37. पीडब्ल्यू 19 रामलाल ने सशपथ कथन किया है कि उसका खेत रेवाडा नयापुरा में आया हुआ है जिससे लगते ही हडमानाराम का खेत आया हुआ है जिसके सेढे को लेकर उनका आपस में विवाद हुआ था । दिनांक 04.05.2017 को लगभग शाम के 04 बजे की बात है, मिश्रीलाल, गुमानाराम, भंवरलाल उनके खेत में गए तब हडमानाराम, विशनाराम, हडमानाराम के चारों पुत्र और दो राजपुरोहित साथ में आए । एक के हाथ में लाठी व एक के हाथ में पत्थर था । हडमानाराम ने बोला मारो । विशनाराम के हाथ में लाठी थी और उन्होंने आते ही बोला मारो–मारो । तब विशनाराम ने लाठी की चोट मिश्रीमल के सिर में मारी जिससे वह गिर गया । फिर वह सभी लोग वहां से भाग गए । झगडे में भंवरलाल के चोट लगी थी । भंवरलाल के सिर में हडमानाराम के बडे बेटे ने मारी थी । गुमानाराम के थोड़ी बहुत लगी थी जिसके भी मारपीट हडमानाराम के बेटे ने ही की थी । जबरसिंह के भी चोट लगी थी । जबरसिंह के हडमानाराम ने मारी थी । 1947 से लेकर आज दिन तक कब्जा हमारा है और उस पर काश्त करते है । ये लोग जबरदस्ती हमारे खेत पर कब्जा करना चाहते है । **जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि** उसके विरुद्ध हड़मानाराम, उसके लड़कों तथा पुत्रवधुओं के साथ मारपीट करने का मुकदमा इसी अदालत में चलता हो और वह पेशी पर आता हो । इस कथन को सही बताया कि उसके विरुद्ध न्यायालय में चल रहे प्रकरण में दिनांक 06.09.2017 को जमानत करवाई थी, जिसकी आज पेशी है । मौके पर उसके साथ जबरसिंह, पीरपुरी व एक आदमी और था जिसका नाम उसे याद नहीं है । वह, जबरसिंह व एक अन्य आदमी पीरपुरी की गाड़ी लेकर गए थे । इस कथन को गलत बताया कि वह पीरपुरी की गाड़ी में बैठकर नहीं गया हो । इस कथन को गलत बताया कि वह तथा पीरपुरी घटना होने से

15–20 मिनट पहले गए हो । उसे इस बात की जानकारी नहीं है मुलजिम हड़मानराम के द्वारा खेत का नाप करवाया हो और उसमें 11 बीघा हड़मानाराम की जमीन पर राजस्व टीम ने हमारा कब्जा बताया हो । इस बात की जानकारी नहीं होना बताया कि एसडीओ कोर्ट में दावा चल रहा है अजखुद कहा कि दावा किस बात का चल रहा है, उसे जानकारी नहीं है । इस कथन को सही बताया कि उस दावे में जवाबदावा उसने दिया है तथा साक्ष्य भी दी है । उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 22.11.2016 को हमारा अतिक्रमण हटाने का और मुलजिमान हड़मान को कब्जा देने का निर्णय हुआ हो । इस कथन को गलत बताया कि पीरपुरी द्वारा हड़बड़ाहट में गाड़ी घुमाने से मिश्रीमल के चोट लगी हो । इस कथन को सही बताया कि जगदीश पुत्र कालूराम से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है । मिश्रीमल के साथ अस्पताल में जबरसिंह, पीरपुरी आदि गए थे । इस कथन को गलत बताया कि उसने अस्पताल में मिश्रीमल के गाड़ी से दुर्घटना में लगने की बात बताई हो । इस कथन को गलत बताया है कि हमने मुलजिमान की 11 बीघा जमीन पर कब्जा किया हो और कब्जा नहीं छोड़ने के ईरादे से झूँठा मुकदमा किया है । इस कथन को गलत बताया कि मिश्रीमल के गाड़ी से चोट आई हो और मारपीट का रुप देकर यह मुकदमा दर्ज करवाया हो ।

38. पीडब्ल्यू 20 जबरसिंह ने सशपथ कथन किया है कि उसके बयान से करीब 7–8 साल पहले वह कालूरामजी रैवाडा नयापुरा के घर पोतियों की शादी की सभा में गया हुआ था । मिश्रीलाल, भंवरलाल व इनके साथ दो–तीन व्यक्ति और थे । खेत में चिल्लाने की आवाज आई तो वह, पीरपुरी व रामलाल भागकर गाडी लेकर खेत में गए तो खेत में विशनाराम, भंवरलाल एवं मिश्रीमल के आपस में झगडा चल रहा था । विशनाराम ने लाठी से मिश्रीमल के चोट मारी । जब वे बीच–बचाव करने गए तब विशनाराम ने उनके भी लाठी से चोटें मारी । उसे, मिश्रीमल, भंवरलाल व गुमानराम को पीरपुरी की गाडी से अस्पताल लेकर गए । मिश्रीमल की गंभीर स्थित होने से उसे जोधपुर रेफर किया और वे तीनों इलाज करवाकर वापस घर आ गए । **जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि** मिश्रीमल के साथ वह मौके पर गया हो । मिश्रीमल घटनास्थल पर कब गया उसे जानकारी नहीं है । मौके पर वह, रामलाल व पीरपुरी तीनों पीरपुरी की गाड़ी में गए थे । इस कथन को सही बताया कि उसके विरुद्ध मुलजिम हनुमान व उसके परिवार के साथ घटना कारित करने का मुकदमा चल रहा है अजखुद कहा कि उसने कोई घटना कारित नहीं की थी । उसे यह जानकारी नहीं है कि घटनास्थल वाला खेत मुलजिम हड़मान के खातेदारी का हो । इस कथन को गलत बताया कि जब वह मौके पर गया उस समय 10–

15 लोग साथ में हो । मौके पर बाबूराम, किशनाराम, जसराज, मिश्रीमल, पुखराज, कालूराम, बालाराम, हरलाल, पीरपुरी, जीवाराम, गणपतलाल व गुमनालाल होंगे तो उसे पता नहीं उसने तीन–चार आदमियों को देखा था । मौके पर खून गिरा था । पुलिस वालों ने मौके से न तो खून हटाया न खून आलूंदा मिट्टी उठाई थी । इस कथन को गलत बताया है कि मौके पर उन्होंने पत्थरबाजी की हो जिससे हड़मान व उसके लड़कों के लगी हो और हड़बड़ाहट में पीरपुरी ने गाड़ी को घुमाया हो । इस कथन को गलत बताया कि पीरपुरी के गाड़ी का बम्पर मिश्रीमल के लगा हो । इस कथन को गलत बताया कि उसने, रामलाल, गुनमानाराम व पीरपुरी ने अस्पताल में डॉक्टर को मिश्रीमल के गाड़ी से लगने की बात बताई हो । पीरपुरी के उस वक्त दो गाडिया थी । पुलिस ने उससे पूछताछ की थी । पुलिस बयान प्रदर्श डी 06 का ए से बी भाग "हडमानराम........फट गया"ऐसे बयान देने से इंकार किया ।

39. पीडब्ल्यू 21 आहत हरलाल है, ने सशपथ कथन किया है कि उनके परिवार का एक खेत सरहद रेवाडा नयापुरा में आया हुआ है । उसके खेत के सेढा–सेढ हडमानराम का खेत आया हुआ है । उनके व हडमानाराम के आपस में खेत के सेढे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है । दिनांक 04.5.2017 को उनके खेत में हडमानाराम, विशनाराम, सुखदेव, रमेश, शंकरसिंह व गुमानसिंह हाथों में लाठियां लेकर आए और वहां खडे मिश्रीमल के लाठी से चोट मारी जिससे मिश्रीमल के सिर में चोटें आई । वह और गुमानाराम बीच–बचाव करने गए तो मुलजिमानों ने उनके साथ भी मारपीट की । झगडे में मिश्रीमल के ज्यादा चोटें लगी । मिश्रीमल को अस्पताल ले जाने के लिए पीरपुरी व जबरसिंह आए । मिश्रीमल को बालोतरा अस्पताल लाए जहां से मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर कर दिया । **जिरह में कथन किया कि** मौके पर मिश्रीमल के साथ वह, किशनाराम व गुमानाराम गए थे । मौके पर पीरपुरी व जबरसिंह झगड़े के आधे घंटे बाद आए थे । इस कथन को सही बताया कि उसके विरुद्ध हड़मानराम, उनके लड़कों व पुत्रवधुओं के साथ घटना के संबंध में मुकदमा चल रहा है । मौके पर पत्थर पड़े थे । पीरपुरी के एक ही गाड़ी है । मौके पर खून पड़ा था जो पुलिस को बताया था । पुलिस ने मौके से उसके रुबरु जहॉ खून गिरा वो खून आलूंदा मिट्टी उठाई थी । इस कथन को सही बताया कि खून आलूंदा मिट्टी उठाई उस समय वह मौके पर नहीं था । इस कथन को गलत बताया कि मुलजिम हड़मान की 11 बीघा भूमि पर वे अवैध अतिक्रमण कर बैठे हो । इस कथन को सही बताया कि 11 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाने का हड़मानराम ने उपखण्ड अधिकारी बालोतरा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है ।

इस कथन को सही बताया कि मौके पर हम 15–20 लोगों ने हड़मानाराम के घर पत्थर फेंके हो जिससे उनके घर के कांच टूटे हो । इस कथन को गलत बताया कि पीरपुरी ने, पत्थर फेंके उस समय, हड़बड़ाहट में बोलेरो गाड़ी को घुमाया हो । यह अस्वीकार किया कि पीरपुरी ने बोलेरो गाड़ी घुमाई इस कारण गाड़ी के बम्पर की चोट मिश्रीमल, गुमानाराम, जबरसिंह व उसके आई हो । इस कथन को गलत बताया कि अस्पताल में मिश्रीमल को भर्त्ती करवाया उस समय डॉक्टर को उन्होंने मिश्रीमल के वाहन से चोट आना लिखवाया हो । इस कथन को गलत बताया कि मुलजिम हड़मानराम की 11 बीघा जमीन को हम अतिक्रमण करके जबरदस्ती हड़पना चाहते हो और मिश्रीमल के गाड़ी की चोट लगी थी उस विवाद के कारण मुलजिमान को झूँठा फंसाया हो ।

40. पीडब्ल्यू 22 डॉ. संतोष कुमार ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 23.05.2017 को मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर पदस्थापित था । उसी रोज पुलिस थाना पचपदरा के प्रतिवेदन पर मजरुब मिश्रीमल के शरीर पर आई चोटो के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर राय दी थी । उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उसकी राय में मजरुब मिश्रीमल के चोट प्रतिवेदन में अंकित चोट संख्या 01 व 02 गंभीर होकर प्राणघातक थी । पुलिस थाना पचपदरा के प्रतिवेदन पर जो राय उसने दी थी वह प्रदर्श पी 21 है, जिस पर ए से बी भाग में उसकी राय अंकित है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है । **जिरह में इस कथन को सही बताया है कि** प्रदर्श पी 12 में ई से एफ भाग में मजरुब के चोटें आरटीए विद एचआई (रोड ट्रेफिक एक्सीडेंट विद हेंड इंजरी) का उल्लेख है जो मजरुब के भर्ती टिकट पर बताया था उसके अनुसार लिखा था । इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श डी 07, 08 व 09 के ए से बी भाग में मिश्रीमल के ईलाज व भर्त्ती होने का कारण आरटीए विद हेड इंजरी होना बताया है । इस कथन को सही बताया कि आरटीए से तात्पर्य रोड ट्रफिक एक्सीडेंट से है । इस कथन को सही बताया कि अस्पताल में किसी व्यक्ति के भर्त्ती होने पर मरीज स्वयं से अथवा उसके हिस्ट्री बताने में असक्षम होने की स्थिति में उसके परिवार या साथ आए व्यक्ति से पूछकर लिखी जाती है । वह यह नहीं बता सकता कि आहत मिश्रीमल के रिश्तेदार बाबूलाल ने मिश्रीमल को भर्त्ती किए जाने के समय भर्त्ती होने का कारण बताया हो अजखुद कहा कि उसने ईलाज नहीं किया था । इस कथन को सही बताया कि उसका मजरुब को देखने का काम नहीं पड़ा केवल भर्त्ती कागजों के आधार पर राय दी थी ।

41. पीडब्ल्यू 23 जयकिशन प्रकरण में अनुसंधानकर्ता है, ने सशपथ कथन किया है दिनांक 05.05.2017 को वह थानाधिकारी के पद पर पुलिस थाना पचपदरा में

पदस्थापित था । उस रोज प्रार्थी गुमानाराम ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 उसके समक्ष पेश की थी जिस प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहों के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए एवं घटनास्थल का रूबरू मौतबिरान के निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 मुर्तिब किया । मजरूब जबरसिंह के द्वारा पेश किए गए खून आलूंदा कमीज को रूबरू मौतबीरान के कब्जे पुलिस लिया जाकर फर्द प्रदर्श पी 4 मुर्तिब की । मजरूब गुमानाराम, भंवरलाल, मिश्रीमल, हरलाल व जबरसिंह का डॉक्टरी परीक्षण करवा चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किये । आहतगण के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 ता 10 है । मजरूब मिश्रीमल के सिर में आई चोटों बाबत मेडिकल ज्यूरिस्ट, मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर की तरफ से जारी चोट संबंधी राय प्रदर्श पी 12 है । दिनांक 10.05.2017 को प्रार्थी श्री गुमानाराम के द्वारा मजरूब मिश्रीमल के खून आलूंदा कपडे पेश नहीं करने के संबंध में एक रिपोर्ट पृथक से पेश की गई जो प्रदर्श पी 13 है । प्रकरण हाजा में फरियादी व आरोपी पक्ष के बीच में चल रहे भूमि संबंधी विवाद के दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए गए । जमाबंदी खतौनी प्रदर्श पी 14 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 15 है । मजरूब मिश्रीमल के आई चोटों के संबंध में डिजिटल फोटो जो प्रदर्श पी 16 व 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । वक्त निरीक्षण घटनास्थल लिए गए डिजिटल फोटो प्रदर्श पी 18 व 19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । अनुसंधान से अभियुक्तगण विशनाराम व हीराराम के विरुद्ध जुर्म धारा 323, 341, 447,336, 307/34 भारतीय दंड संहिता प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिमान को धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया जाकर गिरफ्तार किया गया, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 20 व 21 है । धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस प्रदर्श पी 22 है । दौराने अनुसंधान उसका स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने से पत्रावली का अग्रिम प्रभारी थानाधिकारी को सुपुर्द की गई । **जिरह में इस कथन को सही बताया है कि** उसके द्वारा मुलजिमान विशनाराम, हीराराम, हड़मान व सुखदेव से बरामदगी नहीं की गई । घटनास्थल से एफएसएल हेतु खून आलूंदा मिट्टी नहीं ली थी । इस कथन को सही बताया कि घटनास्थल बताया उसका एकल खातेदार मुलजिम हनुमान ही था । इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श डी 07, 08 व 09 के ए से बी भाग में आरटीए विद एचआई लिखा हुआ है । इस कथन को सही बताया कि उसके द्वारा किए गए अनुसंधान में मुलजिम द्वारा लोहे के सरिये/लगिये व लाठी से चोट मारने की बात नहीं आई अजखुद कहा कि पत्थर मारने की बात आई थी । इस कथन को सही बताया कि तहसीलदार पटोदी द्वारा खसरा नंबर 56 की 11 बीघा भूमि पर पड़ौसी

खातेदार रामलाल वगैरा का अतिक्रमण था उसे हटाने हेतु पुलिस इमदाद चाही थी । इस कथन को सही बताया कि आरोपी हनुमानराम, सुखदेव, हीराराम व विशनाराम एक ही परिवार के सदस्य है । इस कथन को सही बताया कि वर्तमान प्रकरण के मजरुब व उनके गवाहान के विरुद्ध प्रकरण संख्या 69/17 जुर्म धारा 147, 341, 323, 325, 427, 447/149 दर्ज हुआ था । इस कथन को सही बताया कि पीरपुरी द्वारा दौराने अनुसंधान धारा 161 सीआरपीसी के बयान जिसमें उसकी गाड़ी के नंबर आर जे 19 यूए 3468 होना बताया था । इस कथन को गलत बताया कि मजरुब के चोट पीरपुरी द्वारा गाड़ी को हड़बड़ाहट में तेजी से घुमाने से आई हो ।

42. पीडब्ल्यू 24 बालाराम ने सशपथ कथन किया है कि वह परिवार सहित रेवाडा नयापुरा में रहता है । जहां उसका एक खेत आया हुआ है । उसके खेत के सेढे पर हनुमानाराम का खेत आया हुआ है । वर्ष 2017 से हनुमानाराम व उनका आपस में खेत के सेढे को लेकर विवाद चल रहा है । दिनांक 04.5.2017 को मिश्रीमल, जब्बरसिंह, गुमानाराम के साथ विशनाराम, हीराराम, सुखदेव, रमेश, शंकरसिंह व दो–तीन अन्य व्यक्तियों ने लाठियों से झगडा किया जिससे मिश्रीमल के गंभीर चोटें आई । हो–हल्ला सुनकर वे सभी भागकर खेत के सेढे पर गए तब मिश्रीमल व जब्बरसिंह खून से लथपथ थे जिन्हें वे गाडी में डालकर पचपदरा इलाज हेतु लेकर गए । **जिरह में यह कथन किया कि** मौके पर मिश्रीमल के साथ गुमानाराम, जब्बरसिंह, भंवरलाल, पीरपुरी व हरलाल वगैरा थे और कौन थे उसे पता नहीं, एक साथ गए थे । इस कथन को सही बताया कि हमारे विरुद्ध हनुमानाराम के घर पर पत्थर फेंकने व उनके घर की औरतों की लज्जा भंग करने का मुकदमा चल रहा है । उसे पता नहीं कि पीरपुरी मौके पर गाड़ी लेकर आया उस पर बम्पर लगा हुआ था या नहीं । पीरपुरी की उस वक्त एक ही गाड़ी थी । वह जब मौके पर गया उससे पहले मिश्रीमल के लग चुकी थी, वह बाद में गया था । उसे यह नहीं पता कि पीरपुरी ने मौके पर गाड़ी को घुमाया हो । इस कथन को सही बताया कि उसने किसने किसके मारी, मारपीट करते हुए उसने नहीं देखा । मिश्रीमल को वह अस्पताल लेकर गया था । उसने (बालाराम) ने अस्पताल में मिश्रीमल के गाडी के बम्पर की लगी ऐसी बात अस्पताल में बताई होगी अजखुद कहा कि उसने ऐसी बात नहीं बताई है ।

43. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादी पक्ष व मुलजिमान के मध्य कृषि भूमि के कब्जे को लेकर विवाद है । परिवादी ने खेत उनका कब्जाशुदा होना जहाँ पर दिनांक 04.05.2017 को शाम 04.00 बजे परिवादी गुमानाराम, भंवरलाल, हरलाल, मिश्रीमल व जबरसिंह का उपस्थित होना

उस समय मुलजिमान व 05 अन्य व्यक्तियों द्वारा लाठियों व धारदार हथियार लेकर जान से मारने की नीयत से खेत में जबरन प्रवेश कर मुलजिमान द्वारा मारपीट करना उस समय बीच–बचाव में आए मिश्रीमल के सिर पर विशनाराम द्वारा लोहे के सरिये से जान से मारने की नीयत से चोट मारना तथा भंवरलाल, जबरसिंह व हरलाल के साथ लाठियों से मारपीट करना उस समय आवाज सुनकर रामलाल, मोहनलाल व अन्य लोगों का बीच–बचाव करना प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया है । परिवादी पीडब्ल्यू 02 गुमानराम ने उसके मुख्य परीक्षण में दिनांक 04.05.2017 को दिन में 04.00 बजे हीराराम, विशनाराम, सुखदेव, रमेश और हड़मानराम का हाथों में लाठियाँ व लोहे का सरिया लेकर खेत पर कब्जा करने के लिए आना एवं विशनाराम द्वारा उसके साथ मारपीट करना तब बीच–बचाव में मिश्रीमल के आने पर उसके सिर पर लोहे के सरिये से वार करना कथन किया है । इस गवाह ने उसके मुख्य परीक्षण में उसके साथ विशनाराम व मुलजिमान द्वारा जबरसिंह के साथ मारपीट करने से जबरसिंह के सिर पर चोट आना बताया है । गवाह ने जिरह में मुलजिम हड़मानराम द्वारा तहसीलदार से दिनांक 29.02.2016 को आदेश लेकर विवादित खेत का सीमा ज्ञान करवाया हो तो उसे जानकारी नहीं होना कथन किया है तथा हड़मानाराम, सुखदेव, हीराराम व विशनाराम ने उनके खिलाफ पत्थगढी करने का मुकद्दमा किया हो तो भी उसे ध्यान नहीं होना बताया है । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 26.06.2016 को की गई पत्थरगढी में राजस्व विभाग द्वारा मुलजिम हड़मानराम की खातेदारी की 11 बीघा जमीन पर उनके (गुमानाराम) परिवार का कब्जा पाया हो ।

44. पीडब्ल्यू 03 बाबूराम की जिरह का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि विवाद वाले खेत का क्षेत्रफल 11 बीघा है । गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया है कि हड़मानाराम का कहना है कि विवाद वाले खेत की 11 बीघा की खातेदारी उसकी है और उनका कहना है कि कब्जा हमारा है । उसे यह ध्यान नहीं कि 11 बीघा जमीन पर उनका जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने के संबंध में उनके विरुद्ध हड़मानराम ने एसडीओ कोर्ट में दावा किया था या नहीं । उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि दिनांक 22.12.2016 को हड़मानाराम का दावा डिक्री होकर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ या नहीं । इस कथन को गलत बताया है कि उस फैसले से नाराज होकर उन्होंने हड़मानाराम के साथ उसके घर जाकर मारपीट की हो और उस मुकद्दमे से बचने के लिए झूँठा मुकद्दमा किया हो ।

45. पीडब्ल्यू 01 पुखराज नक्शे मौके का गवाह है जिसने जिरह में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि हड़मानाराम ने इस खेत के संबंध में नाप का आदेश करवाया व दावा किया था । इस कथन को स्वीकार किया है कि नाप का आदेश करवाया उसमें हड़मान के खातेदारी की भूमि 11 बीघा पर उनका कब्जा पाया गया था जिस भूमि की खातेदारी हड़मानाराम के नाम की थी । इस कथन को भी स्वीकार किया है कि कब्जा हटाने के लिए हड़मानाराम ने सहायक कलेक्टर बालोतरा के न्यायालय में दावा किया था उस दावे में हड़मानाराम की खातेदारी भूमि से कब्जा हटाने का निर्णय उनके विरुद्ध हुआ था । प्रदर्श पी 01 उसने हस्ताक्षर पचपदरा थाने में किए थे, वह मौके पर नहीं गया था । पीडब्ल्यू 01 पुखराज की जिरह के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट साबित होती है कि अभियुक्त हड़मानराम की 11 बीघा कृषि भूमि पर परिवादी पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर रखा था एवं उस कब्जे को हटाने के लिए हड़मानाराम ने सहायक कलेक्टर न्यायालय बालोतरा में दावा किया था जिसका निर्णय परिवादी पक्ष के विरुद्ध होकर उनका कब्जा हटाये जाने का आदेश भी दिया था । उक्त तथ्य यह दर्शाता है कि अभियुक्तगण एवं परिवादी पक्ष के मध्य जमीन का विवाद विद्यमान था ।

46. पीडब्ल्यू 05 मिश्रीमल आहत है जिसने उसके मुख्य परीक्षण में दिनांक 04.05.2017 को उसके गांव में खेत की पैमाईश के लिए पटवारी, आरआई व तहसीलदार को हड़मानाराम द्वारा बुलाना एवं खेत की पैमाईश करवाई जा रही थी तब उसका, भंवरलाल, जबरसिंह, गुमानराम, हरलाल व पीरपुरी का खेत की पैमाईश देखने के लिए जाना उस समय हड़मानाराम, विशनाराम, सुखदेव, रमेश व शंकरसिंह राजपुरोहित का पत्थर लेकर आना एवं हड़मानाराम द्वारा उसके सिर पर पत्थर मारना व बाद में विशनाराम द्वारा लाठी या कुल्हाड़ी की चोट मारना बताया है । गवाह ने उसके मुख्य परीक्षण में हड़मानाराम द्वारा सिर पर पत्थर मारना एवं विशनाराम द्वारा सिर पर लाठी या कुल्हाड़ी की चोट मारना बताया है जबकि प्रदर्श पी 02 प्रथम सूचना रिपोर्ट में लोहे के सरिये की मिश्रीमल के सिर पर चोट मारना बताया है । हनुमानराम द्वारा मिश्रीमल के सिर पर पत्थर से चोट मारने की बात न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 में उल्लेखित है, न ही पीडब्ल्यू 02 गुमानाराम ने उसके बयानों में बताई है । मिश्रीमल ने उसके सिर पर लोहे के सरिये की चोट मारने बाबत कोई कथन नहीं किया है । गवाह जिरह में यह स्वीकार करता है कि मुलजिमान ने एसडीओ कोर्ट में उनके विरुद्ध जमीन का कब्जा प्राप्त करने का दावा कर रखा है परन्तु इस कथन की जानकारी नहीं होना कथन करता है कि मुलजिमान की 11 बीघा जमीन पर उनका कब्जा हो । गवाह जिरह में

इस कथन को गलत बताता है कि उसने पुलिस में उसके एक्सीडेंट से चोट लगने की बात बताई हो । गवाह ने जिरह में उसके पुलिस द्वारा बयान लेना परन्तु पुलिस बयान प्रदर्श पी 01 का ए से बी भाग ''मेरे सिर.....................नहीं है'' पुलिस को नहीं देना, सी से डी भाग ''हमारे परिवार......................नहीं है'' पुलिस को दिया या नहीं दिया याद नहीं होना व ई से एफ भाग ''मेरे सिर.......................नहीं है'' पुलिस को दिया या नहीं याद नहीं होना बताया है । इस गवाह के पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 के अवलोकन से यह पाते हैं कि गवाह ने उसके पुलिस बयान में उसके सिर पर चोट किसने मारी उसे पता नहीं होना, उसके परिवार के कौन–कौन व्यक्ति वहाँ आए तथा किन–किन के साथ मारपीट हुई याद नहीं होना, उसके सिर में किस व्यक्ति ने व किस हथियार से चोट मारी उसे याद नहीं है, बयान दिए हैं । इस गवाह ने न्यायालय में उक्त बयानों से हटकर विशनाराम द्वारा लाठी या कुल्हाड़ी की चोट मारना तथा हड़मानराम द्वारा पत्थर की चोट सिर पर मारना बताया है । गवाह ने उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 में किये गये कथनों से भिन्न कथन अभिवृद्धि करते हुए किये हैं । इस गवाह की जिरह के अवलोकन से भी अभियुक्त हड़मानराम की 11 बीघा जमीन पर फरियादी पक्ष द्वारा कब्जा करना उस बाबत कार्यवाही किये जाने का तथ्य साबित होता है ।

47. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 गुमानाराम द्वारा प्रस्तुत की गई है जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में हड़मानराम द्वारा मिश्रीमल के सिर पर पत्थर से चोट मारने बाबत कोई कथन नहीं किया है । पीडब्ल्यू 03 बाबूराम ने चिल्लाने पर आवाज सुनकर पीरपुरी का बीच–बचाव हेतु आना बयानों में बताया है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के समय पीरपुरी का बीच–बचाव करने हेतु आने का कोई उल्लेख नहीं है ।

48. पीडब्ल्यू 06 भंवरलाल ने दिनांक 04.05.2017 को सुबह हड़मानाराम द्वारा उप–तहसीलदार, हल्का पटवारी व अन्य लोगों को खेत के सेढे के नाप के लिए बुलाना जिनके द्वारा नाप करके चले जाने के बाद दोपहर 03.30 बजे उसका, मिश्रीमल, गुमानाराम व हरीराम का नाप देखने जाना उस समय विशनाराम, हड़मानाराम, सुखदेव, रमेश, दो–तीन अन्य व्यक्ति व औरतों का आना जिनके द्वारा लाठियों व पत्थरों से मारपीट करना बताया है तथा विशनाराम ने उसके सिर पर लाठी मारना बताया है । विशनाराम व सुखदेव द्वारा मिश्रीमल के सिर पर पत्थर व लाठी से चोट कारित करना जिससे मिश्रीमल के सिर में चोट आना और बेहोश होना बताया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 में यह उल्लेख नहीं है कि औरतें भी मौके पर आई हों और उनके द्वारा

लाठियों व पत्थरों से मारपीट की हो । पीडब्ल्यू 02 गुमानाराम, पीडब्ल्यू 03 बाबूराम व पीडब्ल्यू 05 मिश्रीमल ने मौके पर किसी महिला का उपस्थित होना एवं उनके द्वारा मारपीट किए जाने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं । इस गवाह ने विशनाराम द्वारा उसके सिर पर लाठी मारना भी बताया है परन्तु उपरोक्त उल्लेखित गवाहों ने विशनाराम द्वारा भंवरलाल के सिर पर चोट मारने बाबत भी कोई कथन नहीं किए हैं ।

49. पीडब्ल्यू 07 पोकरराम ने भी दिनांक 04.05.2017 को दोपहर बाद 03.30 बजे के करीब हड़मानाराम के परिवार वाले सेढे पर लकडियाँ रोपने के लिए आना उस समय मिश्रीमल, जबरसिंह, भंवरलाल व हरीराम का वहाँ जाना तब हड़मानाराम के परिवार व इन लोगों के बीच हो–हल्ला शुरु होना उसके बाद गुमानाराम, जसराज व हरीराम का भी वहाँ जाना तो उनके साथ मारपीट करना बताया है । गवाह ने विशनाराम, सुखराम व औरतें जिनके पास लाठियाँ थी के द्वारा मारपीट करना कथन किया है । यह भी कथन किया है कि मिश्रीमल के साथ लाठियों से मारपीट होने से वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया था । जब वह घटनास्थल पर गया तो मुलजिमान उनके घर की तरफ चले गए । जिरह में उसने घटनास्थल पर झगड़े के 05 मिनट बाद पहुँचना बताया है । इस गवाह ने भी उसके मुख्य परीक्षण में विशनाराम, सुखराम व औरतों द्वारा मारपीट करना एवं मिश्रीमल के साथ लाठियों से मारपीट होने से उसका बेहोश होना बताया है । इस गवाह ने मौके पर हड़मानराम व हीराराम का होना एवं उनके द्वारा मारपीट किए जाने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं तथा मौके पर हड़मानराम के परिवार की औरतों द्वारा भी मारपीट करना बताया है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में मौके पर हड़मानराम के परिवार की औरतों का उपस्थित होना एवं मारपीट बाबत कोई कथन नहीं किए हैं । इस गवाह ने उसके पुलिस में बयान होना परन्तु पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 का ए से बी भाग ''शाम करीब...............अंदर आये'', सी से डी भाग ''तथा......................करने लगे'', ई से एफ भाग ''तब हड़मानराम....................शुरु कर दी'' व जी से एच भाग ''तब...........................नुकसान पहुँचा'' पुलिस को नहीं देना तथा आई से जे भाग ''पत्थरबाजी..............आई थी'' ऐसे बयान देना बताया है । इस गवाह के पुलिस बयान प्रदर्श डी 02 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हड़मानराम के परिवार की महिलाएँ खेत में लक़डियाँ ले रही थी उस समय अभियुक्तगण ने हड़मानराम व बीच–बचाव में आए उनके लड़कों के साथ वहाँ मारपीट की तथा बाद में घर पर जाकर पत्थर फैंककर तोड़फोड़ की एवं आपस में पत्थरबाजी होने से मिश्रीमल के भी चोट आई । इस गवाह ने उसके पुलिस बयानों से पूर्णतया हटकर न्यायालय में बयान दिए हैं तथा गवाह ने उसके

बयानों में अभिवृद्धि की है जिससे गवाह के कथन इस कारण से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

50. पीडब्ल्यू 08 गजेसिंह की जिरह का अवलोकन करें तो यह पाते हैं कि इस गवाह ने दो तरह के विरोधाभासी कथन किए हैं। गवाह जिरह में एक कथन घटनास्थल पर सर्वप्रथम स्वयं व एक अन्य व्यक्ति का पहुँचना तथा मौके पर पहुँचने से 05 मिनट पहले झगड़ा होना बता रहा है। दूसरा कथन पीरपुरी, प्रभुलाल व एक–दो अन्यों का उनसे पहले पहुँचना कथन कर रहा है। गवाह जिरह में यह भी कथन करता है कि पीरपुरी वगैरह् घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए मौके पर गए थे, इसका तात्पर्य यही है कि पीरपुरी वगैरह् घटना होने के बाद घायलों को अस्पताल पहुँचाने हेतु मौके पर पहुँचे थे। इस गवाह ने भी जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 का ए से बी भाग ''शाम के करीब..................मारपीट की थी'' ऐसे बयान देने से मना किया। इस गवाह के पुलिस बयान प्रदर्श पी 03 के अवलोकन से यह पाते हैं कि इस गवाह ने पुलिस बयान में, दिनांक 04.05.2017 को दिन में 03.30 बजे हड़मानराम के परिवार की औरतें जब खेत में लकडियाँ ले रही थी उस समय बोलेरो गाड़ी में रामलाल, गुमानराम, जबरसिंह, पीरपुरी व तीन अन्यों का हड़मानराम के खेत के अंदर प्रवेश करना एवं औरतों को लकडियाँ लेने से मना करना तब हड़मानराम के समझाने की कोशिश करने पर उसके साथ मारपीट करना एवं बीच–बचाव में आए विशनाराम, हीराराम व सुखदेव के साथ मिश्रीमल, पाबूराम, भंवरलाल, हरलाल, जीवाराम, बालूराम, जसराज, किशनाराम, कालूराम, गणपत व पुखराज द्वारा लाठियाँ लेकर आना एवं मारपीट करना तथा दोनों पक्षों के आपस में पत्थरबाजी होने से मिश्रीमल, गुमानराम, भंवरलाल व जबरसिंह के चोटें आना बताया है। इस गवाह ने भी पुलिस बयान से भिन्न कथन मुख्य परीक्षण में किए हैं।

51. पीडब्ल्यू 11 चनणाराम ने उसके मुख्य परीक्षण में दिनांक 04.05.2017 को गणपतलाल व कालूराम के परिवार के खेत में हीराराम, विशनाराम, हड़मानजी, सुखदेव व दो–तीन औरतों का आना एवं मिश्रीमल व भंवरलाल के साथ मारपीट करना तथा झगड़े की आवाज सुनकर मौके पर जाना बताया है। इस गवाह ने भी उसके मुख्य परीक्षण में गुमानाराम, हरलाल व जबरसिंह के साथ मारपीट किए जाने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं तथा गवाह ने मौके पर दो–तीन औरतों का उपस्थित होना जिनके द्वारा भी मारपीट करना कथन किया है। इस गवाह ने भी उसके पुलिस में बयान होना एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी 04 का ए से बी भाग ''शाम करीब..................अंदर आये'', सी से डी भाग ''तथा.................करने लगे'', ई से एफ भाग ''तब हड़मानराम.................शुरु

कर दी'' व जी से एच भाग ''तो हड़मानराम......................चोटें आई'' पुलिस को देने से मना किया है । इस गवाह के पुलिस बयान प्रदर्श डी 04 के अवलोकन से भी यह पाते हैं कि गवाह ने दिनांक 04.05.2017 को दिन में 03.30 बजे हड़मानराम के परिवार की औरतें जब खेत में लकडियाँ ले रही थी उस समय बोलेरो गाड़ी में रामलाल, गुमानराम, जबरसिंह, पीरपुरी व तीन अन्यों का हड़मानराम के खेत के अंदर प्रवेश करना, उनकी औरतों को लक़डियाँ लेने से मना करना तब हड़मानराम के समझाने की कोशिश करने पर उसके साथ मारपीट करने एवं बीच–बचाव में आए विशनाराम, हीराराम व सुखदेव के साथ मिश्रीमल, पाबूराम, भंवरलाल, हरलाल, जीवाराम, बालूराम, जसराज, किशनाराम, कालूराम, गणपत व पुखराज द्वारा लाठियों से हड़मानराम व उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करना कथन किया है तथा दोनों पक्षों के आपस में पत्थरबाजी होने से मिश्रीमल, गुमानराम, भंवरलाल व जबरसिंह के चोटें आना बताया है । इस गवाह ने भी पुलिस बयान से भिन्न कथन न्यायालय में किए हैं ।

52. पीडब्ल्यू 09 छगनसिंह ने कालूजी व हनुमानजी के खेत के सेढे पर लड़ाई व बोलचाल की आवाज सुनकर सेढे पर जाना और मिश्रीमल को बेहोश पड़ा हुआ देखना इसके अलावा कोई घटना नहीं देखना तथा घटना के बाद मौके पर जाना कथन किया है। इस गवाह के कथनों से अभियोजन कहानी को कोई समर्थन नहीं मिलता है ।

53. पीडब्ल्यू 10 खरथाराम ने रेवाड़ा नयापुरा निवासी कालूजी की पोतियों की शादी की सभा में जाना एवं सभा में मिश्रीमल को बेहोशी हालत में लेकर आना लेकिन लड़ाई कहाँ पर तथा मारपीट किसने की थी उसे जानकारी नहीं होना कथन किया है । इस गवाह के कथनों से भी अभियोजन कहानी को कोई समर्थन नहीं मिलता है ।

54. पीडब्ल्यू 12 गेनाराम ने उसके मुख्य परीक्षण में हड़मानराम के परिवारजनों द्वारा कालूराम के परिवारजनों के साथ लाठियों से मारपीट करना एवं बाद में पुलिस आना बताया है । इसके अलावा उसे जानकारी नहीं होना बताया है । इस गवाह ने हड़मानराम के परिवारजनों में से किसने मारपीट की इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किए हैं । गवाह की जिरह के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि इस गवाह का घटनास्थल पर जाने का काम नहीं पड़ा तथा वह मौके पर नहीं गया इसलिए उसे जानकारी नहीं कि घायल के चोट कैसे लगी थी । इस गवाह के कथनों से अभियोजन कहानी को कोई समर्थन नहीं मिलता है ।

55. पीडब्ल्यू 13 मोहनपुरी ने उसके मुख्य परीक्षण में वर्ष 2017 में कालूराम व हड़मानराम के बीच में क्या विवाद था इसकी जानकारी नहीं होना एवं झगड़ा होते हुए

देखने से इन्कार किया है। यह गवाह पक्षद्रोही हुआ है एवं लोक अभियोजक की जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 का ए से बी भाग ''दिनांक 04.05.2017................हालत में देखा था'' देने से तथा दिनांक 04.05.2017 को रेवाड़ा नयापुरा में परिवादी गुमानाराम के खेत में अनाधिकृत रूप से घुसकर अभियुक्तगण विशनाराम, हड़मानारम, सुखदेव व हीराराम द्वारा गुमानाराम के परिवार के साथ लाठियों व हथियारों से मारपीट कर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाने से इन्कार किया है।

56. पीडब्ल्यू 14 जोगाराम ने उसके मुख्य परीक्षण में झगड़े के बारे में सुनना एवं मिश्रीमल के साथ हड़मानराम के परिवार वालों द्वारा मारपीट करना जिससे गंभीर घायल होना कथन किया है। जिरह में उसका झगड़ा हुआ उस स्थान पर जाने का काम नहीं पड़ना एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी 05 का ए से बी भाग ''शाम करीब..............करने'', सी से डी भाग ''तब हड़मानराम...............शुरु कर दी'' व ई से एफ भाग ''तब...............चोटें आई'' पुलिस को देने से मना किया है। झगड़े के आधा घंटा बाद मौके पर जाना कथन किया है। इस गवाह के मुख्य परीक्षण व जिरह के अवलोकन से गवाह का वक्त घटना मौके पर उपस्थित नहीं होना एवं इसके द्वारा घटना नहीं देखना साबित होता है।

57. पीडब्ल्यू 09 छगनसिंह, पीडब्ल्यू 10 खरथाराम, पीडब्ल्यू 12 गेनाराम, पीडब्ल्यू 13 मोहनपुरी व पीडब्ल्यू 14 जोगाराम के कथनों से यह प्रकट होता है कि इन गवाहों ने घटना होते नहीं देखी है तथा इन गवाहों के कथनों से अभियोजन कहानी को कोई मदद नहीं मिलती है।

58. पीडब्ल्यू 15 पीरपुरी ने कालूराम व हड़मान के आपसी खेत का विवाद होना तथा हड़मान के परिवार की औरतें खेत में लकडियाँ बिनने गई उस समय रामलाल द्वारा लकड़ियाँ लेने से मना किया तब विशनारम, हीराराम, हड़मानराम, रमेश कुमार और 04-05 अन्य व्यक्ति जिनके नाम उसे पता नहीं, के हाथ में धारदार लाठियाँ व हथियार थे। विशनाराम द्वारा मिश्रीमल के सिर पर लाठी मारना तब मिश्रीमल जमीन पर गिरना तब उसकी गाड़ी में मिश्रीमल को बैठाकर इलाज हेतु अस्पताल लेकर जाना जहाँ से मिश्रीमल को जोधपुर रेफर करना कथन किया है। इस गवाह ने भी उसके मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के हाथ में धारदार लाठियाँ व हथियार होना एवं विशनाराम द्वारा मिश्रीमल के सिर पर लाठी से चोट मारना बताया है जबकि पीडब्ल्यू 05 आहत मिश्रीमल, पीडब्ल्यू 02 गुमानाराम फरियादी व अन्य किसी गवाह ने मिश्रीमल के सिर पर लाठी से चोट मारने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं। इस गवाह ने भी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसके

व रामलाल वगैरह् के विरुद्ध हड़मानराम ने मुकद्दमा किया है जो इसी न्यायालय में विचाराधीन है । इस गवाह के कथनों के संपूर्ण अवलोकन से अभियुक्तगण द्वारा फरियादी पक्ष के विरुद्ध मुकद्दमा किया जाना जिस मुकद्दमे में स्वयं का भी मुलजिम होना एवं मुकद्दमा लंबित होना बताया है । इस गवाह ने उसके मुख्य परीक्षण में मिश्रीमल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं ।

59. पीडब्ल्यू 18 मोहनलाल ने जिरह में यह कथन किया है कि 05 साल पहले उनके खेत की सीमा को लेकर झगड़ा हुआ था । दिन को 02.00 बजे वह उनका खेत देखने गया तब विशनाराम, हीराराम, सुखदेव, शंकरजी पुरोहित व नरपत पुरोहित हमलावर होकर आए और विशनाराम ने मिश्रीमल के सिर में लाठी की चोट मारी । बाकी और कुछ नहीं हुआ । मारपीट में भंवरलाल के चोट लगी थी जो हीराराम ने मारी थी । जिरह में इस गवाह ने भी इस कथन को स्वीकार किया है कि जिस जगह घटना होना बता रहा है वह मुलजिम हड़मानाराम के खातेदारी थी । इस गवाह ने भी मुख्य परीक्षण में विशनाराम द्वारा मिश्रीमल के सिर में लाठी की मारना बताया है कि जबकि मिश्रीमल व अन्य गुमानाराम ने लोहे के सरिये की चोट मारना बताया है । इस प्रकार मिश्रीमल के सिर पर किस हथियार से चोट मारी इस संबंध में गवाहों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है । इस गवाह के कथनों से भी यह जाहिर होता है कि जिस जगह पर झगड़ा होना बताया है वह जगह हड़मानाराम के खातेदारी की थी । इसका तात्पर्य यह है कि फरियादी हड़मानाराम के खातेदारी की भूमि में प्रविष्ठ हुए जो आक्रामक (Aggressor) थे ।

60. पीडब्ल्यू 19 रामलाल के कथनों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाह ने घटना के समय मिश्रीलाल, गुमानाराम व भंवरलाल का उनके खेत में होना बताया है एवं उस समय हड़मानाराम, विशनाराम व हड़मानाराम के चारों पुत्रों व दो राजपुरोहितों का साथ में आना बताया है परन्तु दो राजपुरोहित कौन थे, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा जबरसिंह व हरलाल का उस समय मौके पर होना नहीं बताया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में हरलाल व जबरसिंह का भी मौके पर उपस्थित होना बताया है । इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में विशनाराम द्वारा मिश्रीमल के लाठी की चोट सिर पर मारना बताया है जबकि पीडब्ल्यू 02 गुमानराम ने लोहे के सरिये से तथा पीडब्ल्यू 05 मिश्रीमल ने लाठी या कुल्हाड़ी से तथा पीडब्ल्यू 06 भंवरलाल ने मिश्रीमल के सिर पर विशनाराम द्वारा पत्थर व लाठी से चोट मारना बताया है । इस प्रकार इस गवाह के कथनों में मारपीट में प्रयुक्त किए जाने वाले हथियार को लेकर विरोधाभास है तथा इस गवाह ने जिरह में उसके विरुद्ध मुकद्दमा विचाराधीन होना गलत बताया है लेकिन यह स्वीकार करता है कि

उसने प्रकरण में दिनांक 06.09.2017 को जमानत करवाई थी जिसकी आज पेशी भी है। गवाह ने मुख्य परीक्षण में मिश्रीमल के सिर पर चोट मारने से उसके गिरने पर वहाँ से अभियुक्तगण का भाग जाना बताया है एवं जिरह में उसका, जबरसिंह व पीरपुरी का गाड़ी लेकर मौके पर जाना बता रहा है । यह गवाह जबरसिंह के भी चोट मारना बताता है जबकि मिश्रीमल के सिर पर चोट मारकर अभियुक्तगण का वहाँ से भाग जाना एवं उससे पूर्व जबरसिंह के चोट मारने बाबत कोई कथन नहीं किया है । इस प्रकार इस गवाह के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है एवं गवाह के कथन विश्वसनीय नहीं पाए जाते हैं ।

61. पीडब्ल्यू 20 जबरसिंह के कथनों का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि गवाह ने यह कथन किया है कि 07–08 साल पहले कालूरामजी के पोतियों की शादी की सभा में गया हुआ था । मिश्रीलाल, भंवरलाल व उनके साथ दो–तीन व्यक्ति खेत में गए थे । चिल्लाने की आवाज आई तब वह, पीरपुरी व रामलाल भागकर गाड़ी लेकर खेत में गए तब खेत में विशनाराम, भंवरलाल व मिश्रीमल के आपस में झगड़ा चल रहा था । विशनाराम ने लाठी से मिश्रीमल के चोट मारी जब वे बीच–बचाव करने गए तब विशनाराम ने उनके भी लाठी से चोट मारी । उसे, मिश्रीमल, भंवरलाल व गुमानाराम को पीरपुरी की गाड़ी में अस्पताल लेकर गए । जिरह में मिश्रीमल घटनास्थल पर कब गया इसकी जानकारी नहीं होना बताया है । इस कथन को गलत बताया कि उसने, रामलाल, गुमानाराम व पीरपुरी ने अस्पताल में डॉक्टर को मिश्रीमल के गाड़ी से लगने की बात बताई हो । गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श डी 06 का ए से बी हिस्सा ''हड़मानाराम ने अपने हाथ में लिए पत्थर को मिश्रीमल को जान से मारने की नियत से फैंका जिससे मिश्रीमल के सिर में गंभीर चोट लगी तथा उसका सिर फट गया'' पुलिस को ऐसे बयान देने से इन्कार किया है। इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में मिश्रीलाल, भंवरलाल व इनके साथ दो–तीन और व्यक्तियों का खेत में जाना बताया है परन्तु वो दो–तीन व्यक्ति कौन थे इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है तथा गवाह ने विशनाराम, भंवरलाल व मिश्रीमल के आपस में झगड़ा चलना उसके अलावा किसी अन्य के द्वारा झगड़ा करना या झगड़े में शामिल होना नहीं बताया है। गवाह ने विशनाराम द्वारा उनके भी चोट मारना बताया है परन्तु पीडब्ल्यू 02 गुमानराम ने विशनाराम द्वारा जबरसिंह के चोट माने बाबत कोई कथन नहीं किए हैं । इस गवाह ने पुलिस बयान में हड़मानाराम द्वारा मिश्रीलाल के सिर पर पत्थर मारना जिससे चोट आना बताया है परन्तु किसी भी गवाह ने हड़मानाराम द्वारा मिश्रीमल के सिर पर पत्थर मारने बाबत कथन नहीं किया है । इस गवाह के कथन भी विश्सनीय प्रतीत नहीं होते है तथा गवाह की मौके पर उपस्थिति भी संदेहप्रद पाई जाती है ।

62. पीडब्ल्यू 21 हरलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में हड़मानराम के व उसके आपस में खेत के सेढे को लेकर कई समय से विवाद होना तथा दिनांक 04.05.2017 को उनके खेत में हड़मानाराम, विशनाराम, सुखदेव, रमेश, शंकरसिंह व गुमानसिंह का हाथों में लाठियाँ लेकर आना और वहाँ खड़े मिश्रीमल के लाठी से चोट मारना जिससे उसके सिर पर चोट आना एवं बीच–बचाव में आए उसके व गुमानाराम के साथ भी मारपीट करना बताया है । जिरह में यह कहता है कि मौके पर मिश्रीमल के साथ वह, किशनाराम व गुमानाराम गए थे । पीरपुरी व जबरसिंह झगड़े के आधे घंटे बाद आए थे । इस कथन को स्वीकार किया है कि हड़मानराम, उनके लड़कों व पुत्रवधुओं के साथ घटना के संबंध में उसके विरुद्ध मुकद्दमा चल रहा है तथा इस कथन को भी स्वीकार किया है कि 11 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने का हड़मानराम ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बालोतरा में दावा प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है । इस कथन को गलत बताया है कि मिश्रीमल के गाड़ी की चोट लगी हो तथा उक्त विवाद के कारण झूँठा मुकद्दमा किया हो । इस गवाह की जिरह के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पीरपुरी व जबरसिंह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे एवं झगड़े के आधे घंटे बाद आए थे । पीडब्ल्यू 08 गजेसिंह ने पीरपुरी वगैरह् का घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए मौके पर जाना बताया है इसका तात्पर्य यही निकलता है कि घटना घटित होने के बाद पीरपुरी वगैरह् मौके पर गए थे । पीडब्ल्यू 08 गजेसिंह ने उसके मुख्य परीक्षण में भी पीरपुरी का मौके पर उपस्थित होना नहीं बताया है ।

63. पीडब्ल्यू 24 बालाराम ने वर्ष 2017 से उनके व हड़मानाराम के खेत के सेढे को लेकर विवाद चलना एवं दिनांक 04.05.2017 को मिश्रीमल, जबरसिंह व गुमानाराम के साथ विशनाराम, हीराराम, सुखदेव, रमेश, शंकरसिंह व दो–तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा लाठी से झगड़ा करना जिससे मिश्रीमल के गंभीर चोट आना एवं हो–हल्ला सुनकर सभी का भागकर खेत के सेढे पर जाना तब मिश्रीमल व जबरसिंह खून से लथपथ पड़े होना जिन्हें गाड़ी में डालकर पचपदरा इलाज हेतु लेकर जाना कथन किया है । जिरह में मौके पर मिश्रीमल के साथ गुमानाराम, जबरसिंह, भंवरसिंह, पीरपुरी, हरलाल वगैरह् का होना इनके अलावा और कौन था पता नहीं होना कथन किया है तथा मौके पर पीरपुरी का बोलेरो गाड़ी लेकर जाना बताया है । इस गवाह ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उनके विरुद्ध हड़मानाराम के घर पत्थर फैंकने व उनकी औरतों की लज्ञा भंग करने का मुकद्दमा चल रहा है । उसे पता नहीं कि पीरपुरी मौके पर गाड़ी लेकर गया जिसके बम्पर लगा हुआ था या नहीं । वह जब मौके पर गया उसके पहले मिश्रीमल के लग चुकी थी ।

वह बाद में गया था तथा उसके जाने के पहले झगड़ा हो चुका था । उसने अस्पताल में, मिश्रीमल के गाड़ी के बम्पर की लगी ऐसा अस्पताल में बताया होगा । इस गवाह ने भी घटनास्थल पर घटना के बाद जाना बताया है । इस गवाह ने जिरह में इस कथन की जानकारी नहीं होना बताया है कि अस्पताल में मिश्रीमल के गाड़ी के बम्पर से लगने की बात बताई हो लेकिन इस कथन को अस्वीकार नहीं किया है ।

64. पत्रावली पर आहत मिश्रीमल के इलाज से संबंधित दस्तावेज अन्तर्वासी रोगी शैय्या शीर्ष टिकट प्रदर्श डी 07 से 09 के अवलोकन से उसमें RTA लिखा हुआ है । इस संबंध में पीडब्ल्यू 22 डॉ. संतोष कुमार ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 12 व प्रदर्श डी 07 से 09 में मिश्रीमल के अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होने का कारण RTA with head injury होना बताया है । अस्पताल में किसी व्यक्ति के भर्ती होने पर मरीज द्वारा उसकी हिस्ट्री बताने में असक्षम होने पर उसके परिवार या साथ आए व्यक्ति से पूछकर लिखा जाता है । जिरह में कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि मिश्रीमल के रिश्तेदार बाबूलाल ने मिश्रीमल को भर्ती करने के समय भर्ती होने का कारण बताया हो । आहत की चोटों के संबंध में दी गई राय प्रदर्श पी 12 में भी आहत के भर्ती होने के समय चोट का कारण RTA बताया है । घटना के समय काफी लोगों का वहाँ एकत्रित होना एवं गजेसिंह के पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 में आपस में पत्थरबाजी होना भी बताया है ऐसी स्थिति में उस समय मौके पर पीरपुरी का गाड़ी लेकर आना एवं हड़बड़ाहट में गाड़ी से चोट लगने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

65. पीडब्ल्यू 23 जयकिशन अनुसंधान अधिकारी ने भी जिरह में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल का एकल खातेदार मुलजिम हड़मान ही था तथा प्रदर्श डी 07 से 09 के ए से बी भाग में RTA with HI लिखा हुआ है । मुलजिमान द्वारा लोहे के सरिये, लगिये या लाठी से मजरूबान के चोट मारने की बात उसके अनुसंधान में नहीं आना भी स्वीकार किया है एवं स्वतः कहा कि पत्थर से मारने की बात आई थी । विशनाराम ने मिश्रीमल के सिर में पत्थर मारा हो ऐसी किसी भी गवाह की साक्ष्य नहीं है । अनुसंधान अधिकारी के कथनों से यह भी प्रकट होता है कि खसरा संख्या 56 में 11 बीघा भूमि पर पड़ौसी खातेदार रामलाल वगैरह् का अतिक्रमण था उसे हटाने हेतु तहसीलदार पाटोदी द्वारा पुलिस इमदाद चाही थी । यह गवाह भी जिरह में यह स्पष्ट स्वीकार करता है कि उसके अनुसंधान में मुलजिमान द्वारा लोहे के सरिये, लगिये या लाठी से मारपीट करने की बात नहीं आई एवं पत्थर मारने की बात आई थी । पीडब्ल्यू 08 गजेसिंह के पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 अनुसार आपस में पत्थरबाजी होना भी साबित होता है । अभियुक्तगण से

लोहे का सरिया, लाठी या धारदार कोई हथियार बरामद भी होना नहीं बताया गया है जो भी यह तथ्य दर्शाता है कि गवाहों द्वारा बताए गए अनुसार मिश्रीमल के साथ लोहे के सरिये, लाठी या किसी धारदार हथियार से कोई मारपीट नहीं हुई थी ।

66. पीडब्ल्यू 04 जगदीश ने दिनांक 04.05.2017 को हड़मानराम के घर के पास पहुँचा उस समय मोहनराम, कालूराम, जीवाराम व अन्य बहुत सारे लोगों द्वारा हड़मानाराम व उनके लड़कों हीराराम, विशनाराम, रमेश व सुखदेव पर हमला करना एवं उनके द्वारा हड़मानारम के घर पर पत्थर फैंकना तथा पीरपुरी व जबरसिंह के पास बोलेरो गाड़ी थी जिसको घुमाने से मिश्रीमल के चोट आना बताया है । यह गवाह बोलेरो गाड़ी से मिश्रीमल के चोट आना कथन कर रहा है तथा जिरह में भी इस कथन को सही बताया है कि मुलजिमान हड़मानराम, विशनाराम, हीराराम व सुखदेव ने मिश्रीमल, भंवरलाल, हरलाल, गुमानाराम व जबरसिंह के साथ कोई मारपीट नहीं की थी बल्कि इन्होंने हड़मानराम के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट व तोड़फोड़ करना बताया है ।

67. पीडब्ल्यू 16 बाबूसिंह जो कि उप–तहसीलदार पाटोदी के पद पर कार्यरत था, के कथनों से यह सुस्पष्ट है कि खसरा संख्या 56 जिसका खातेदार हड़मानराम था की 11 भूमि 12 विस्वा भूमि पर परिवादी पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर रखा था जिसको हटाने बाबत उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के निर्णय की पालना में कब्जा दिलाने गए थे लेकिन उस दिन कब्जा दिलाने की कार्यवाही फरियादी पक्ष के घर में शादी होने से नहीं हो सकी। इस गवाह के कथनों से अभियुक्तगण के इस तर्क को बल मिलता है कि उनके कब्जे की भूमि पर फरियादी पक्ष का कब्जा था जिनको हटाने के संबंध में कार्यवाही किए जाने से क्रोधित हुए एवं उस बात को लेकर आपस में विवाद व पत्थरबाजी हुई ।

68. साक्ष्य के उपरोक्त समग्र विवेचन से यह तथ्य साबित होता है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों के कथनों में महत्वपूर्ण एवं तात्विक विरोधाभास है तथा आहत मिश्रीमल के सिर पर चोट कैसे आई यह तथ्य भी साबित नहीं है । अभियोजन गवाहों ने मिश्रीमल के सिर में लोहे के सरिये या लाठी से मारपीट करना बताया है परन्तु अनुसंधान अधिकारी ने स्पष्ट इन्कार किया है कि उसके अनुसंधान में लोहे का सरिया या लाठी से मारपीट किए जाने की बात नहीं आई थी न ही लोहे का सरिया या लाठी अभियुक्तगण से बरामद ही हुआ है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र विवेचन से स्थिति प्रकट होती है कि अभियुक्तगण की 11 बीघा 12 विस्वा भूमि पर फरियादी पक्ष द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है जिसके संबंध में फरियादीगण एवं अभियुक्तगण के मध्य विवाद पूर्व से ही विद्यमान है ऐसी स्थिति में विवाद के कारण भी यह प्रकरण दर्ज करवाया जाना जाहिर

होता है । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र विवेचन से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होना नहीं पाए जाने से अभियुक्तगण आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं ।

:: आदेश ::

69. परिणामतः अभियुक्तगण **विशनाराम पुत्र हडमानाराम, हीराराम पुत्र हडमानाराम व सुखराम उर्फ सुखदेव पुत्र हडमानराम, निवासियान रेवाडा, नयापुरा, पुलिस थाना पचपदरा, जिला बालोतरा** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 427, 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है ।

70. अभियुक्तगण द्वारा धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत 10,000/- रुपये के जमानत मुचलके पूर्व में पेश किए जा चुके हैं ।

71. इस न्यायालय में विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत् अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में पेश जमानत व मुचलके निरस्त किये जाते हैं ।

72. प्रकरण से संबंधित सेंपल या वजह सबूत यदि कोई हो तो बाद गुजरने म्याद अपील/रिवीजन, नियमानुसार नष्ट किया जावे ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

73. निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.05.12 11:37:00 +0530